



प्रशिक्षण मनुअल

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के जमीनी कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु



मेनुअल के बारे में

जल जीवन मिशन के विभिन्न घटकों पर केन्द्रित यह मेनुअल ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, कृषिान्वयन सहायता एजेंसियों के कार्यकर्ताओं और अन्य सामुदायिक हितधारकों के प्रशिक्षण हेतु तैयार किया गया है। जल जीवन मिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए मेनुअल को विषय वार अलग-अलग सत्रों में बांटा गया है।

आमतौर पर देश में आता है कि फील्ड स्तर पर जब पूरे दिन या लगातार दो-चार दिन के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं तो समय अभाव और अन्य व्यस्तताओं के कारण प्रतिभागी पूरे समय या नियमित रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं रह पाते। प्रतिभागियों की सुविधा और उनकी रुचि को बनाये रखने के लिए एक दिन में एक विषय पर 3-4 घंटे का प्रशिक्षण आयोजित करना ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेनुअल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर एक सत्र अपने आप में पूर्ण हो ताकि टुकड़े-टुकड़े में अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए भी मेनुअल का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जल जीवन मिशन पर कार्य करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भी इस मेनुअल का उपयोग किया जा सकता है।

हर एक सत्र के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। बेहतर होगा कि प्रशिक्षक उस समय सीमा में सत्र को पूर्ण करने का प्रयास करें। जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण सत्रों को उप सत्रों में बांटा गया है और सत्रों को सहजगी तथा रुचिकर बनाने के लिए वीडियो फिल्म, रोल प्ले, केस स्टडी, सवाल-जवाब, समूह अभ्यास गतिविधियां शामिल की गई हैं। मेनुअल की विषय-वस्तु को सरल और सहज रखने को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है।

मेनुअल में जल जीवन मिशन के विभिन्न आयामों जैसे - उद्देश्य, लक्ष्य, नल जल योजना के लिए ग्राम कार्य योजना निर्माण, कृषिान्वयन व निगरानी, नल जल योजना के संचालन व रखरखाव में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के महत्व के साथ-साथ सतत और गुणवत्ता पूर्ण जल आपूर्ति हेतु मांग और आपूर्ति के अंतर के आकलन हेतु प्लन बजट का निर्माण, मौजूदा जल स्रोतों के प्रबंधन और बर्बाद जल के संरक्षण व संग्रहण पर भी जोर दिया गया है। आशा है कि जमीनी स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने में यह मेनुअल स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी कृषिान्वयन सहायता एजेंसी और अन्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी साबित होगा।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)

प्रतिभागी : जेजेएम में आईएसए (क्रियान्वयन सहायता एजेंसी) या क्षमता निर्माण संगठनों/एजेंसी के रूप में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के फील्ड स्टाफ (अधिकतम 25)

प्रमुख उद्देश्य

1. जेजेएम के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना जो समुदाय, ग्राम पंचायतों और जमीनी संगठनों/ संस्थाओं/ समितियों के लिए प्रासंगिक हैं।
2. सतत और सुरक्षित जल आपूर्ति के लिए जेजेएम में सामुदायिक भागीदारी, विशेषकर महिलाओं के महत्व पर दृष्टिकोण बनाना।
3. जेजेएम अंतर्गत योजना बनाने, कार्यान्वयन में सहायता और योजना की निगरानी के लिये कौशल विकसित करना।
4. सामुदायिक संगठनों/ समितियों और समूहों के लिए सहभागी प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों का प्रशिक्षकों के रूप में कौशल विकास करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिन/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	निर्णय
पहला दिन			
10.00-11.30	परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना तथा जमीनी नियम तैयार करना	जोड़े में परिचय पिछले दो दशकों में उनके साथी ने अपने गांव/क्षेत्र में पानी की स्थिति/उपलब्धता में क्या बदलाव देखे हैं?	सब की व्याख्या में नदियाँ, कुओं, तालाबों, नलकूपों, हैंडपंपों में पानी की उपलब्धता, घटते जल स्तर से संबंधित वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करें।
11.30-12.00	चाय		
12.00-13.00	जेजेएम क्या है? प्रमुख विशेषताएं, अवसर और चुनौतियाँ	जेजेएम पर कटरएट द्वारा तैयार फिल्म दिखाएं। प्रतिभागियों से पूछें कि गांव में नल जल योजना की मांग वाली इस फिल्म की खास बातें क्या हैं। पीपीटी/चार्ट के माध्यम से जेजेएम पर जानकारी प्रदान करने के बाद सुर्ती चर्चा करें।	जेजेएम पर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे - लक्ष्य, प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा, कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका, लागत आदि साझा करने के लिए पीपीटी, चार्ट का उपयोग करें।

13.00-14.00	भोजन		
14.00-15.30	नल जल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व	<p>केस स्टडी (पहले से विकसित) पढ़कर सुनाएँ और प्रतिभागियों को 3 समूहों में बाँटें -</p> <p>समूह -1 : नल जल योजना में हितभागी कैसे प्रभावित हो रहे हैं?</p> <p>समूह-2 : लोगों के जुड़ाव से संबंधित क्या कठिनाईयाँ देख रहे हैं. अगर जुड़ाव होता तो क्या होगा?</p> <p>समूह-3 : अगर फिर से नई योजना लगनी हो तो उसमें सामुदायिक भागीदारी कब-कब आवश्यक है?</p>	इस बात पर जोर दें कि अलग-अलग परिवार/व्यक्तियों की जरूरतें अलग होती हैं. सभी की भागीदारी से योजना के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा होती है और अंशदान एकत्र करने में मदद मिलती है। योजना और क्रियान्वयन में स्थानीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
15.30-16.00	चाय		
16.00-17.30	वीएपी क्या है? वीएपी के प्रमुख चरण, जिन गांवों में वीएपी स्वीकृत हो गए हैं वहां वीएपी की पुनरीक्षा कैसे करें? वीएपी बनाने की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए?	<p>अभ्यास - वीएपी को अधिक सहभागी कैसे बनायें - टूटोकेट वॉक, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण और गरीब बस्तियों के विश्लेषण का तरीका। वीएपी में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? वीएपी में क्या-क्या होता है?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आदर्श वीएपी निर्माण के चरणों को साझा करें। • निम्न स्थितियों में ग्राम पंचायत और जल समिति की क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करें - <ul style="list-style-type: none"> ○ जिन गांवों में पहले से वीएपी स्वीकृत है, वहां वीएपी की पुनरीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें। ○ जिन गांवों में नल जल योजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है वहां क्या देखने की आवश्यकता है? ○ जिन गांवों में अभी वीएपी नहीं बना है वहां क्या करने की आवश्यकता है?
	गृह कार्य		
			वीएपी/जेजेएम पर उपलब्ध विषय देखने के लिये कहे
दूसरा दिन	दूसरा दिन		
09.30-10.00	पिछले दिन के सत्रों की प्रमुख सीखों का	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख	

	दोहराव/चर्चा	सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो बताने के लिए कहें।	
10.00-11.30	नल जल योजना की डिजाइन के विभिन्न अवयवों को समझना - ओवरहेड टैंक राइजिंग मेन, वितरण लाइन / व्यवस्था, घरेलू कनेक्शन आदि	नल जल योजना की डिजाइन के विभिन्न अवयवों और उनके महत्व को साझा करें, डी गई जानकारी पर सवाल-जवाब करें। प्रतिभागियों को 4-5 समूह में बाँटकर, नल जल योजना के विभिन्न अवयवों के चित्र देकर उन्हें तकनीकी रूप से क्रम वार लगाने के लिए कहें।	पीपीटी/चार्ट के माध्यम से नल जल योजना के विभिन्न अवयवों की तकनीकी जानकारी और डीपीआर में दिये जाने वाले विवरण की जानकारी साझा कर, खुली चर्चा के साथ समेकित करें।
11.30-12.00	चाय		
12.00-13.30	जल सुरक्षा योजना कैसे बनाये? मुख्य विशेषताएं और चरण।	जल सुरक्षा का मतलब बताएं? यह किसके लिए? पानी किसके लिये जरूरी - मनुष्यों और पशुओं के पीने के लिए या खेती में सिंचाई के लिये। पानी की मांग और भूजल व सतही जल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए केस स्टडी साझा करें। वर्षा जल को संग्रहण/संचयन के लिए विभिन्न संरचनाओं के निर्माण/परम्पत की योजना कैसे बनाएं?	जल सुरक्षा योजना (मांग/आपूर्ति का आकलन) बनाने के अभ्यास हेतु प्रतिभागियों को 4-5 समूहों में बाँटें और प्रत्येक समूह को केस स्टडी के आधार पर चरण वार जल सुरक्षा योजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहें। किसी गांव की आदर्श जल सुरक्षा योजना को पीपीटी/चार्ट के माध्यम से साझा करें।
13.30-14.30	भोजन		
14.30-17.30	जेजेएम के अंतर्गत नल जल की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और संचालन एवं रखरखाव की निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका	जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों का चर्चाती विवरण करें - ग्राम, ग्राम पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर। (समूह कार्य की प्रस्तुति के बाद चाय ब्रेक) प्रतिभागियों को 5-6 समूहों में बाँटें और एक-एक संस्था का नाम देकर उसकी भूमिकाओं	समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका समूह-2 : ग्राम सभ की भूमिका समूह-3 : जल समिति की भूमिका समूह-4 : एस.एच.डी. जल संगठन की भूमिका समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेंसी की भूमिका


		की पहचान कर प्रस्तुत करने के लिए करें। समूह अभ्यास के प्रस्तुतिकरण के बाद, संबंधित संस्था की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें।	समूह-6 : पीएचईटी/ठेकेदार की भूमिका कोई अन्य महत्वपूर्ण संगठन/संस्था जिसे चिन्हित किया जाये।
	गृह कार्य	जिन विषयों पर चर्चा की गई उनसे संबंधित विषय पढ़ने और जल सुरक्षा योजना पर क्लिप देखने के लिए करें।	
तीसरा दिन			
09.30-10.30	पिछले दिन का दोहराव/ दिए गये गृह कार्य पर चर्चा - यदि कोई समस्या/सवाल हो तो उसका समाधान	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए करें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो बताने के लिए करें।	
10.30-13.00	किसकी निगरानी करें और कैसे करें? ए. पानी की गुणवत्ता की योजना निर्माण सी. सामुदायिक योगदान	प्रतिभागियों से पानी की विभिन्न अशुद्धियों के बारे में पूछें और उन्हें सूचीबद्ध करें। इन अशुद्धियों के कारण पूछें। पानी में मौजूद विभिन्न अशुद्धियों के उपचार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। जल परीक्षण और उपचार के मौजूदा तंत्र, नमूनों से लेकर परीक्षण और परिणामों को साझा करने तक की प्रक्रिया के बारे में बतायें। (चाय ब्रेक) प्रतिभागियों को 4 समूहों में बाँटे तथा चारों समूहों को अलग-अलग विषयों पर निगरानी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करें। समूह अभ्यास का प्रस्तुतिकरण कराकर, पीपीटी/चार्ट के माध्यम से निगरानी के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी देकर सब समीकित	समूह-1 : ठाड़वेत से राइजिंग मेन पाइपलाइन सम्बन्धित/ ओवरहेड टैंक तक की निगरानी समूह-2 : सम्प वेत/ओवरहेड टैंक से मोहल्लों में बिछायी गई पाइपलाइन/वायव आदि की जगह निगरानी समूह-3 : घरों में नल कनेक्शन अंतिम तौर तक टक्का के साथ जल आपूर्ति और घरों में जल

		करें।	भण्डारण और उपयोग की निगरानी समूह-4 : जल वितरण व्यवस्था और सामुदायिक अंदरूनी तथा जल कर की व्यवस्था की निगरानी
13.00-14.00	भोजन		
14.00-16.00	सहभागी तरीके से नल जल योजना का संचालन और रखरखाव कैसे करें।	रखरखाव और संचालन में क्या-क्या बातें शामिल हैं, बताएं। नीचे दिये गए एजेन्डा के बिंदुओं पर ग्राम सभा की बैठक का रोल प्ले आयोजित कराएँ – क) रखरखाव और संचालन के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण ख) विभिन्न संस्थानों की जिम्मेदारियाँ ग) जल कर का निर्धारण और संकलन तंत्र घ) जल सुरक्षा संबंधी कार्य (रोल प्ले के बाद चाय ब्रेक) प्रमुख सीखी/मुद्दों का समेकन। पीपीटी/चार्ट के माध्यम से रखरखाव और संचालन की प्रमुख बातों को साझा करें।	रोल प्ले हेतु प्रतिभागियों समूह में निम्न भूमिकाएँ प्रदान करें - ए विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सदस्य बी पंच / सरपंच सी शिक्षित युवा (पुरुष/महिला) डी पीएचडी/डी इंजीनियर ई रोजगार सहायक/सचिव कोई अन्य महत्वपूर्ण हितधारक/ ग्राम सभा सदस्य
16.00-17.00	सहभागी प्रशिक्षण	सहभागी प्रशिक्षण क्या है- उपर्युक्त के सीखने के सिद्धांत। प्रमुख सहभागी विधियाँ। प्रशिक्षण की रूपरेखा और सीखने का चक्र।	चिह्नित 3 दिनों के प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करें। प्रतिभागियों को अपने पूर्व अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें।
	गृहकार्य स्व-शिक्षण हेतु ट्रेनिंग की रूपरेखा तैयार कर सब संचालन के अभ्यास के लिए प्रतिभागियों को 4 समूहों में बाँटें	सहजकर्ता प्रतिभागियों को समूह में 45 मिनट की ट्रेनिंग डिजाइन तैयार करने और सब संचालन हेतु मार्गदर्शन करें। पीडब्लूके के लिए 15 मिनट अतिरिक्त रखें। प्रत्येक समूह के प्रशिक्षकों से पीपीटी/चार्ट तैयार करने को कहें। उन्हें कुछ छोटी-छोटी	समूह 1: वीएपी निर्माण पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर

		सहभागी विधियों को उपयोग करने के लिए भी कह सकते हैं।	पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना समूह 4: जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव पर वॉप ऑपरेटरों / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना
चौथा दिन			
09.30-10.00	पिछले दिन की प्रमुख सीखों का दोहराव और आज आयोजित किये जाने वाले सत्रों के मानदंड निर्धारित करना	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहें। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो बताने के लिए कहें।	
10.00-11.30	समूह 1: वीएपी गठन पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना		
11.30-11.45	चाय		
11.45-13.15	समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना समूह 4: जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव पर वॉप ऑपरेटरों / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना		
13.15-14.00	भोजन		
14.00-15.30	समूह अभ्यास की सीखों का समेकन। रख संचालन को सहज बनाने के प्रमुख सिद्धांत प्रशिक्षक की भूमिकाएँ और कीमत		
15.30-15.45	चाय		
15.45-16.30	प्रशिक्षण की सीखों को परिचयोजना क्षेत्र के गाँवों में लागू करने और साझा करने की योजना बनाना	संस्था/स्वैच्छिक संगठन वार टीम में योजना तैयार कराना	योजना बनाने के लिए 15-20 मिनट और प्रस्तुतिकरण के लिए 25-30 मिनट। सीटबैंक और समेकन।
16.30-17.30	प्रशिक्षण का नूतनांकन, आभार और समापन		



प्रथम दिवस



प्रथम दिवस, सत्र-1 : परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना

सत्र के उद्देश्य

- प्रतिभागियों का एक-दूसरे से परिचय कराना।
- प्रतिभागियों के क्षेत्रों में बीते दो दशक में पानी की उपलब्धता में आए बदलाव और चुनौतियों पर चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना।

समयावधि : 1 घंटा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर और मार्कर।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सभी प्रतिभागियों का पंजीयन सुनिश्चित करें।
- सभी प्रतिभागियों की बैठक व्यवस्था ठीक है या नहीं सुनिश्चित करें।
- आसकर महिला प्रतिभागियों से पूछें कि बैठक व्यवस्था में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है।
- सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें तथा प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अभार व्यक्त करें।
- यदि संभव हो तो दीप जलाकर / प्रार्थना/सामाजिक बदलाव आधारित गीत के गायन के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत करें।

परिचय हेतु प्रक्रिया

- परिचय हेतु सभी प्रतिभागियों को अपना-अपना जोड़ीदार ढूँढने के लिये कहें। उन्हें ऐसा साथी ढूँढने के लिये कहें जिसे वो पहले से जानते न हों।
- प्रतिभागियों को 15 मिनट का समय देकर, अपना-अपना जोड़ीदार ढूँढकर साथ में बैठने और एक-दूसरे के बारे में निम्न बिंदुओं पर जानकारी लेने के लिए कहें -
 1. साथी प्रतिभागी का नाम, पता, यदि पंचायत या किसी समिति/समूह के पदाधिकारी हों तो उसका नाम एवं पद।
 2. बीते दो दशक यानी कि 20 साल में उनके गांव/क्षेत्र में पानी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

3. कोई एक ऐसी बात जिसके बारे में प्रशिक्षण से सीखना/जानना चाहते हैं?

- जब प्रतिभागियों एक-दूसरे के बारे में उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर लें तो उन्हें बारी-बारी से अपने जोड़ीदार के साथ परिचय देने के लिए आमंत्रित कर एक-दूसरे का परिचय देने के लिए कहें। साथ ही कोई एक ऐसी बात जिसके बारे में वे प्रशिक्षण से सीखना चाहते हैं, बताने के लिए कहें। हर जोड़ी के परिचय के बाद तात्की अवश्य बजवाएँ।
- प्रतिभागियों द्वारा पानी की स्थिति में बदलाव के बारे में गांव/क्षेत्र वार जो कमियाँ बतायी जयें, प्रशिक्षक उनको एक चार्ट पेपर लिखते जायें। साथ ही प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की सीखने/जानने की इच्छाओं को दूसरे चार्ट पेपर पर लिखते जायें।
- परिचय प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रशिक्षक, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की विषय-वस्तु से अवगत कराए तथा देखें कि प्रतिभागियों ने जिन विषयों पर जानने की इच्छा जाहिर की है विषय-वस्तु में कवर हो रहे हैं या नहीं। यदि प्रशिक्षण के उद्देश्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय छूट रहा हो तो उसे शामिल करे और जो विषय प्रशिक्षण के उद्देश्य से अलग हों उनके बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट बता दें।

सत्र समीक्षण

प्रतिभागियों द्वारा पानी की स्थिति में जो बदलाव बताए हैं उनको और अधिक गहराई से समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें :-

- पानी की स्थिति में बदलाव या कमी के पीछे क्या कारण है?
- कहीं-कहीं बारिश ज्यादा होने लगी है, बाद असमय होने लगी है?
- आपने पिछले कुछ वर्षों में बारिश या मौसम की पद्धति में क्या बदलाव पाया है ?
- पानी की समस्या परिवार और समाज में किसे सबसे अधिक प्रभावित करती है?
- पानी की समस्या का रोज के कामों/आजीविका पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
- क्या इस समस्या से बाहर निकल पाना संभव है?
- प्रतिभागियों को अपने गांव/क्षेत्र की सत्य घटनाएँ साझा करने के लिये प्रेरित करें।

प्रशिक्षण के लिए नियम बनाना

- प्रशिक्षण के व्यवस्थित संचालन और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों की सहभागिता और सहमति से नियम तैयार करें। जैसे – मोबाइल को स्विच ऑफ या म्यूट रखना, समय का ध्यान रखना, प्रशिक्षक कक्ष की स्वच्छता बनाए रखना, एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा बात रखना आदि।
- प्रतिभागियों की सहभागिता से तैयार किए गए नियमों को प्रशिक्षण कक्ष में कहीं ऐसी जगह पर लगा दें, जहाँ सभी की नजर पड़ती रहे।

प्रथम दिवस, सत्र-2 : जल जीवन मिशन - विशेषतायें, अवसर एवं चुनौतियां

सत्र के उद्देश्य

- जल संबंधी चुनौतियों का सामना करने में जल जीवन मिशन एक अवसर की तरह है, इस बात पर समझ बनाना।
- जल जीवन मिशन की प्रमुख बातों से अवगत कराना।

समयावधि : 1 घंटा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, जल जीवन मिशन पर काटरेजट द्वारा तैयार फिल्म और सत्र संबंधी पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

पिछले सत्र में हमने अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और समस्याओं, चुनौतियों को समझने का प्रयास किया। इस सत्र को आधा-आधा घंटे के दो उप सत्रों में बांटा गया है, जिनमें हम निम्न विषयों को समझेंगे -

उप सत्र -1 जल संबंधी चुनौतियां एवं अवसर

उप सत्र -2 जल जीवन मिशन की मुख्य बातें

उप सत्र - 1 : जल संबंधी चुनौतियां एवं अवसर

उप सत्र के संचालन की प्रक्रिया

आइये हम विषय पर केन्द्रित मुस्लीपुर गांव की फिल्म देखते हैं। सभी को फिल्म में बतायी गई बातों की ध्यानपूर्वक देखना और समझना है कि फिल्म में क्या दिखाया गया है। बतायें कि फिल्म की समाप्ति पर इससे जुड़े कुछ प्रश्न आपसे पूछे जायेंगे।

फिल्म प्रदर्शन के बाद एक-एक कर प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न करें —

- पानी की समस्या गांव में सर्वाधिक किस और किस तरह से प्रभावित कर रही थी?
- समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने क्या किया?

- नल जल योजना से गांव वालों के जीवन में क्या बदलाव आए:

प्रतिभागियों द्वारा दिये गये तीनों प्रश्नों के जवाबों को अलग-अलग चार्ट पेपर नोट करें। आगे बॉक्स में उपरोक्त तीनों प्रश्नों के संभावित दिए गए हैं, यदि प्रतिभागियों के बताने में कोई महत्वपूर्ण जवाब छूट जाये तो उन्हें साझा कर विषय पर समझ बनायें।

पहला प्रश्न – “पानी की समस्या गांव में सर्वाधिक किसे और किस तरह से प्रभावित कर रही थी?” के संभावित जवाब

- गांव में पानी की कमीर समस्या थी।
- गांव के कुएँ सभी में सूख जाते थे।
- हण्डपंप का पानी नीचे चला गया था जिससे काफी देर चलाने के बाद पानी निकलता था।
- हण्डपंप पर काफी भीड़ होती थी लाइन लगाकर पानी मिलता था।
- टैंकर आने का इंतजार करना पड़ता था, भीड़ अधिक होने के कारण समय सर्वाधिक होता था।
- महिलाओं को काफी दूर से लगभग 2 किलो से पानी लाना पड़ता था।
- जल खोत खुला था, जिसे पशु गंदा कर देते थे जिसकी वजह से बीमारियाँ होती थीं।
- लड़कियाँ को स्कूल जाने में अक्सर देरी हो जाती थी।
- पानी लाने के कारण बच्चों को खेलने-कूदने का समय नहीं मिलता था।
- दूर से पानी लाने में रास्ते में जहरीले जीवों के काटने का खतरा था।
- लोगों को काम/रोजगार पर जाने में देरी हो जाती थी।
- दूसरे गांव के लोग इस गांव में अपनी बेटियों को शादी नहीं करना चाहते थे। आदि प्रमुख हैं।

दूसरा प्रश्न – “समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने क्या किया?” के संभावित जवाब

- सभी लोगों ने मिलकर गांव में तीसरा कुआँ।
- पाइपलाइन कहां से जायेगी, तंजी कहां लगेगी, कौन सा जल खोत अच्छा रहेगा आदि विषयों पर आपस में चर्चा कर योजना बनाई।
- सभी ने क्षमता अनुसार नगद एवं धन दान कर नल जल योजना के अंशदान की राशि जमा की।
- जब काम हो रहा था तो गांव के लोगों के द्वारा निगरानी भी की जाती रही।
- गांव वालों की तगन को देखते हुए पीएचई विभाग ने भी हर संभव मदद दी।

तीसरा प्रश्न - नल जल योजना से गांव वालों के जीवन में क्या बदलाव आए के संभावित जवाब

- सभी घरों में नल से शुद्ध एवं पर्याप्त पानी मिलने लगा।
- अब महिलाओं को पानी के लिये परेशान नहीं होना पड़ रहा था।
- बच्चियाँ समय पर स्कूल जाने लगीं और नियमित पढ़ाई करने लगीं।
- बच्चों को खेलने-कूदने के लिये भी पर्याप्त समय मिलने लगा।
- रोजगार एवं नौकरी/भाजदूरी के काम समय पर होने लगे।
- सभी लोग जल समस्या से छुटकारा पाकर बहुत खुश थे।
- दुर्घित जल के कारण होने वाली बीमारियाँ भी खत्म हो गईं।

सत्र समेकन

बतायें कि हम उस सत्र में हमने जाना कि पेयजल की कमी से लोगों को किस प्रकार परेशानी उठानी पड़ती है और रोजमर्रा के काम के साथ-साथ परिवार, समाज और गांव के विकास पर भी इसका असर पड़ता है।

- बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती, उनकी पढ़ाई छूट जाती है।
- बच्चियों को खेलने—कूदने का समय नहीं मिल पाता।
- लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं।
- समय बर्बाद होता है, घर के सभी सदस्य पानी लाने के काम में ही व्यस्त रहते हैं जिससे अन्य काम एवं रोजगार प्रभावित होता है।
- पानी लाने के रास्ते में जीव जंतुओं के काटने का खतरा बना रहता है।
- गर्भवती और कुजुर्ग महिलाओं को पानी लाने में दिक्कत होती है।
- समय पर खाना नहीं बन पाता जिससे काम धंधे पर असर पड़ता है।

कहें— सभी को स्वच्छ एवं नियमित पानी मिले इसके लिये आवश्यक है कि गांव की अच्छी योजना बने। यह तभी संभव है जब योजना बनाने और इसे लागू कराने में पूरे गांव की भागीदारी हो। आपने फिल्म में देखा कि सुल्हीपुर गांव के सभी लोग पानी की समस्या के समाधान के लिये किस प्रकार एकजुट हुए, उन्होंने गांव का मकसद बनाया एवं अपने गांव की विस्तृत योजना तैयार की, अंशदान दिया, काम गुणवत्ता पूर्ण ही इसके लिए काम की निगरानी की जिससे घर-घर पानी पहुंचा और पूरा गांव सुसाहाय्य हुआ। पानी की समस्या के हलते सुल्हीपुर गांव का नाम जहाँ सुसाहाय्य पड़ गया था, गांव के नाम के अनुरूप फिर से लोग सुख का जीवन जीने लगे।

उप सत्र - 2 : जल जीवन मिशन की मुख्य बातें

उप सत्र के संचालन की प्रक्रिया

प्रश्न करें— जल जीवन मिशन की प्रमुख बातें क्या—क्या हैं? प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करें एवं सही जवाबों को दोहरायें।

- संलग्न पीपीटी (पहला दिन, सत्र—2, जल जीवन मिशन के बारे में) का उपयोग कर प्रमुख बातों को स्पष्ट करें या नीचे दी गई संदर्भ सामग्री का उपयोग कर जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सत्र समीक्षण

जल जीवन के बारे में दी गई जानकारियों का पुनः स्मरण कराने के लिये, प्रतिभागियों से पूछें कि जल जीवन मिशन के बारे में क्या-क्या प्रमुख बातें बतायी गईं, एक-एक कर बतायें। एक प्रतिभागी को केवल एक बात बताने का अवसर दें ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को अवसर मिल सके। प्रतिभागियों के बताने में यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो अन्य प्रतिभागियों को उसमें जोड़ने के लिए कहें, यदि अन्य प्रतिभागी भी न बता पायें तो प्रशिक्षक स्वयं उस बात को पुनः स्पष्ट करें।

संदर्भ सामग्री


- **जल जीवन मिशन का विजन/स्वप्न** - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल के माध्यम से नियमित पर्याप्त एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति करना।
- **जल कैसे मिलेगा** - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को।
- **कितना पानी मिलेगा** - 55 लीटर प्रति सदस्य प्रतिदिन।
- **पानी कैसे मिलेगा** - एकल ग्राम एवं बहुग्राम योजना के माध्यम से। एकल ग्राम योजना उन ग्रामों में होगी जहां जलापूर्ति हेतु आवश्यक एवं उचित जलस्रोत मौजूद हैं। ऐसे ग्राम जहां उचित जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं उनका समूह बनाकर बहुग्राम योजना में शामिल कर जलापूर्ति की जाएगी। योजना लागत को कम करने के लिए पहले से मौजूद जल स्रोतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- **जल आपूर्ति की योजना कौन बनायेगा -** ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा समुदाय मिलकर अपने जरूरत के अनुसार जल आपूर्ति की योजना बनायेंगे।
- **धनराशि -** केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गांव को धनराशि देंगे। गांव वालों को कुल लागत की 5 से 10 प्रतिशत राशि सामुदायिक अंशदान के रूप में लगानी होगी। जिन ग्रामों में अजल/अजला की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है वहां अंशदान की राशि 5 प्रतिशत एवं अन्य ग्रामों में 10 प्रतिशत राशि देनी होगी।
- **नल जल योजना की निगरानी -** ग्राम में नल जल योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन की निगरानी पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेगी।
- **योजना का संचालन एवं रखरखाव -** ग्राम पंचायत, ग्रामसभा एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेगी।
- **नल कनेक्शन कहाँ लगेगा -** घर के अंदर/ आंगन में नल कनेक्शन दिया जाएगा।
- **जल स्रोत का चयन -** हर गांव में कम से कम दो ऐसे जल स्रोतों का चयन किया जाएगा जो सभी परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति कर सके। ये जल स्रोत — नदी, झरखेत, कुए, बावड़ी, बांध, नहर, ताताब आदि हो सकते हैं।
- **जल वितरण कैसे होगा -**
 - **सीधा जल वितरण -** छोटे गांवों में सीधे जल स्रोत से पानी खींचकर सभी घरों तक पहुंचाया जायेगा।
 - **सम्प -** मध्यम आबादी वाले गांवों में स्रोत से पानी खींचकर सम्पवेल में स्टोर किया जाएगा। सम्प में पानी फिल्टर होगा। इसके बाद हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
 - **ओवरहेड टैंक -** बड़े गांवों में उपयुक्त स्थान का चयन कर ओवरहेड टैंक बनाया जाएगा। स्रोत से पानी खींच कर पहले जल शोधन प्लांट में भेजकर शुद्धिकरण किया जाएगा, इसके बाद ओवरहेड टैंक में भरकर गांव में वितरण किया जाएगा।
- **वर्षा जल संचयन -** पंचायत एवं ग्रामसभा द्वारा ग्राम में वर्षा जल का संचयन किया जाएगा ताकि पानी की मांग और उपलब्धता में कोई कमी न हो।
- **घरे-घाटर प्रबंधन -** घर-घर नल कनेक्शन होने से गंदे पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक जघोसरचनाओं का निर्माण कर गंदे पानी/ घरे-घाटर का प्रबंधन किया जाएगा।
- **जल स्रोतों का स्थायित्व -** जल स्रोतों में जल की कमी न हो इसके लिये पंचायत एवं ग्रामसभा द्वारा जल स्रोतों के स्थायित्व के काम कराये जायेंगे।
- **ग्रामीण संस्थानों में नल कनेक्शन -** स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में भी कार्यात्मक नल कनेक्शन दिये जायेंगे।

- **जल परीक्षण** - वितरित किये जाने वाले जल की शुद्धता की जांच के लिये वर्ष में कम से कम दो बार बरसात से पहले और बरसात के बाद जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता जांच की जायेगी। इसके लिए 5 सदस्यीय महिलाओं के दल को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **मासिक जल कर** - ग्राम सभा में चर्चा कर मासिक खर्च के आधार पर प्रति परिवार मासिक जल कर की राशि तब की जायेगी। ग्राम सभा चाहे तो गरीब परिवारों को जल कर में छूट या रिवायत दे सकती है।

जल जीवन मिशन- कार्यान्वयन ढांचा

ग्राम पंचायत	ग्राम सभा	जल एवं स्वच्छता समिति
<ul style="list-style-type: none"> • ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में नल जल योजना के लिये आवश्यक पहल ग्राम सभाओं का आयोजन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन, योजना की निगरानी। 	<ul style="list-style-type: none"> • ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन, योजना का अनुमोदन कर निर्धारण एवं संकलन के नियम बनाना, जल वितरण के नियम बनाना, योजना की प्रगति एवं आय-व्यय की समीक्षा आदि। 	<ul style="list-style-type: none"> • ग्राम योजना निर्माण, सामुदायिक संगठन, पेयजल संपर्क का रिकार्ड रखना, निर्माण कार्य की निगरानी, प्रबंधन, नियमित संचालन एवं रखरखाव, नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण आदि।



प्रथम दिवस, सत्र-3 : नल जल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व

सत्र के उद्देश्य

- नल जल योजना से पानी की सतत उपलब्धता बनाये रखने के लिये सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घंटा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : केस स्टेडी – ग्राम बंशीपुर में पानी की स्थिति

सत्र संचालन प्रक्रिया

- इस सत्र में एक केस स्टेडी के माध्यम से इस बात पर समझ बनायी जायेगी कि समुदाय का जुड़ाव ना होने की वजह से गांव की नल जल योजना ठीक से नहीं चल पायी एवं पानी की स्थिति भी खराब हो गई।
- प्रतिभागियों को 3 समूह में बाँटे और अगे दी गई केस स्टेडी को कॉपी प्रदान करें। समूहों को केस स्टेडी पर आपस में चर्चा कर निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिये कहें –

समूह-1 : गांव में नल जल योजना के हितभागी कौन-कौन हैं और वे कैसे प्रभावित हो रहे हैं?

समूह-2 : लोगों के जुड़ाव से संबंधित क्या कठिनाईयाँ देख रहे हैं, अगर जुड़ाव होता तो क्या होता?

समूह-3 : अगर फिर से नई योजना लगानी हो तो उसमें सामुदायिक भागीदारी कब-कब आवश्यक है?

प्रत्येक समूह को दिए गए प्रश्नों पर खरी-बारी से अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिये आमंत्रित करें।

सत्र समीक्षण

समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरोक्त चर्चा को निम्न चार बिंदुओं पर केन्द्रित कर हितभागियों की पहचान और विश्लेषण करायें :

- ऐसे हितधारक जिनका महत्व और प्रभाव दोनों अधिक है, कौन हैं?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व अधिक है लेकिन उनका प्रभाव कम है, कौन हैं??
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व कम है लेकिन उनका प्रभाव अधिक है, कौन हैं?
- ऐसे हितधारक जिनका महत्व और प्रभाव दोनों कम है, कौन हैं?

प्रतिभागियों को बताये कि नल जल योजना में गरीब, वंचित, आदिवासी और महिलायें सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं लेकिन इनका प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए इनकी क्षमतावृद्धि के साथ-साथ इन्हें संगठित कर ग्राम सभाओं में इनकी आवाज को बलवन्त करना होगा।

केस स्टडी - ग्राम वंशीपुर में पानी की स्थिति

ग्राम वंशीपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव में 3 बसाहटें हैं जिनमें कुल 250 परिवार रहते हैं और गांव की कुल आबादी लगभग 1500 के आसपास है। मध्य प्रदेश के अन्य गांवों की तरह वंशीपुर गांव भी कृषि प्रधान है। जहाँ लगभग 90 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं दुग्ध व्यापार पर आश्रित हैं। 20 प्रतिशत लोग सामान्य मजदूर हैं एवं बाकी लोग निजी व्यवसाय और सेवाओं से जुड़े हैं। गांव में 3 स्कूल, 2 आंगनवाड़ी केन्द्र, 1 पंचायत भवन स्थापित है। गांव के ज्यादातर घर पक्के हैं एवं इसी सात प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 नए घर स्वीकृत हुए हैं।

गांव की सामान्य जानकारी

बसाहट की जानकारी	परिवार संख्या	सरकारी भवन / भौगोलिक स्थिति	पशुधन
पहली बसाहट - मिश्रित जनसंख्या ठाकुर, बनिया एवं ब्राम्हण परिवार	80	1 प्राथमिक स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 1 आंगनवाड़ी	300 गाय/भैस
दूसरी बसाहट - अधिकतर बनिया आदिवासी व दलित परिवार	40	टीले पर बसा है, यहां कोई सरकारी भवन नहीं है	10 गाय/भैस एवं 80 मुर्गी एवं बकरी
तीसरी बसाहट- दलित परिवार	20	गांव की मुख्य बसाहट से दूर बसा है	110 मुर्गी एवं बकरी
चौथी बसाहट - ठाकुर, एवं ब्राम्हण परिवार	70	1 पंचायत भवन	70 गाय/भैस
पांचवी बसाहट - मिश्रित आबादी	60 परिवार	1 प्राथमिक स्कूल, 1 आंगनवाड़ी	80 गाय/भैस एवं 70 मुर्गी एवं बकरी

वैसे तो पांचों बसाहटें एक दूसरे से आधा घौन किमी दूरी पर स्थित हैं। लेकिन तीसरी बसाहट जिसमें 20 दलित परिवार रहते हैं, मुख्य गांव से सबसे दूर है। गांव की एक दूसरी बसाहट जिसमें करीब 40 परिवार रहते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहां अधिकतर समय पानी की कमी बनी रहती है।

गांव में पानी की आवश्यकतायें

गांव में पानी की खपत मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा घरेलू उपयोग में होती है। गांव की कुल आबादी 1500 है। गांव का खेती का रकबा लगभग 2200 एकड़ में फैला है। जिसमें से 1600 एकड़ भूमि सिंचित है और 600 एकड़ असिंचित है। किसान मुख्यतः खरीफ में भोपाबीन और रबी में गेहूं एवं चना (800 एकड़ में गेहूं और 800 एकड़ में चना) लगाते हैं। गर्मियों में पानी नहीं रहने की वजह से लोग कोई फसल नहीं लगा पाते।

गांव की दो बसाहटें जो गांव के केन्द्र में हैं वहां बड़ी संख्या में दूध के लिये पशुपालन होता है। गांव में कुल गाय, बैल, भैंस की संख्या 450 है और छोटे पशु 260 (भेड़, बकरी - 160 और मुर्गी आदि - 100) हैं। ज्यादातर गाय-भैंस गांव के समृद्ध परिवार, जो गांव की घनी बसाहट में रहते हैं उनके पास हैं। बकरी व मुर्गी अधिकतर दलित आदिवासी व कुछ बनिया परिवारों के द्वारा पाली जा रही हैं।

गांव में अब तक की पानी की व्यवस्था

गांव में औसतन 700 मिमी बारिश होती है। गांव में एक पुरानी एक नलजल योजना लगी हुई है, जो पिछले चार सालों से लगभग बंद है। यह योजना करीब 10 साल पहले किसी सरकारी योजना के अंतर्गत लगायी गयी थी। धीरे-धीरे जलस्तर कम होने के कारण यह कम पानी देने लगी और गर्मियों के 3-4 महीने लगभग सूखी रहती है। योजना लगने के 2-3 साल बाद ही पाइपलाइन में टूट-फूट होने लगी और मरम्मत की जरूरत पड़ने लगी। पिछले 8 सालों में पंचायत द्वारा 3-4 बार मोटर की मरम्मत भी करायी गई। मोहल्ले में जाने वाले ट्रेक्टरों से पानी की पाइपलाइन कई बार टूट जाती थी। बार-बार मरम्मत कराने में पंचायत असमर्थ थी। गिरते जल स्तर के वलते पंचायत ने अब मरम्मत कराना बंद कर दिया है। अब इस बंद पड़ी योजना को इसी वर्ष 'रेट्रोफिटिंग' के अंतर्गत लिया गया है। इस साल पहले जब यह योजना प्रारंभ हुई थी तो शुरू की पहली दो बसाहटों में पर्याप्त पानी मिल जाता था। जहां पर छोटी पानी की टंकी में पानी भराकर पानी की व्यवस्था की गई थी।

गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग के लिये नल जल योजना का काम जनवरी 2022 में शुरू हुआ है। नल जल योजना के अंतर्गत एक लाख लीटर की नई टंकी बनाई गई है। टंकी को भरने के लिए दो नए बीरबल (एक 800 फिट गहरा एवं दूसरा 1000 फिट गहरा) भी बनाये गए हैं। टंकी से पाइपलाइन के माध्यम से नल कनेक्शन दिए गए हैं। तीसरी बसाहट जिसमें 20 परिवार हैं, वह नल जल कनेक्शन से छूट गई है। स्थिति यह

रोजगार सहायक प्रबंधन पानी की मोटर चलाकर पानी की टंकी को भरते हैं। कई बार पीछे के मोहल्लों में पानी पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। ऊपर का मोहल्ला जिसमें 40 परिवार रहते हैं वहां घर कभी-कभी पानी आता है, वहां के लोग अक्सर सरपंच से शिकायत कर चुके हैं कि उनके यहां नल कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं आता। पहले की दो बसाहटें इस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन जैसे ही अग्रेत का महीना आया पानी की कमी होने लगी, अब पानी बहुत कम देर के लिये एवं मोटर रोक-रोक कर चलाने पर ही पानी आता है। पंचायत एवं समुदाय सभी चिंतित हैं कि पानी की उपलब्धता को कैसे बढ़ावा जाये। पानी की कमी के कारण 2 सार्वजनिक कुओं और चारू हण्डप से ही पूरे गांव के लोग पानी ले रहे हैं।

गांव में 2 तालाब हैं, जो पहली और पांचवी बसाहट में हैं। तालाबों की औसत लम्बाई 10 मीटर और औसत चौड़ाई 12 मीटर तथा औसत ऊंचाई 3 मीटर है। पांचवी बसाहट वाले तालाब की घात टूट गयी है एवं उसकी मरम्मत की जरूरत है। उसके अंदर मिट्टी और गाद भर गयी है, जिससे तालाब में कम पानी ठहरता है। इसके अलावा तालाब में पानी आने के रास्ते में सड़क, बसाहटें आने की वजह से पूरा पानी तालाब में नहीं आ पाता और यह पानी बसाहटों में भर जाता है। दूसरा तालाब गांव के अंदरूनी भाग में पहली बसाहट में है। इस तालाब का उपयोग अधिकतर निस्सार और पशुओं को पानी पिलाने के लिये होता है लेकिन गर्मियों के समय यह तालाब भी सूख जाता है।

गांव में कुल 4 सार्वजनिक कुएं और 14 निजी कुएं हैं। इनमें से तालाब के पास वाले 2 कुओं में सात भर पानी रहता है जिससे पहले लगभग आधा गांव पानी लिये करता था। कुओं की औसत गिन्ना 2 मीटर और औसत गहराई 12 मीटर है। लेकिन नल जल योजना के आ जाने से इन कुओं का उपयोग बंद कर दिया गया और इसमें लोग कचरा फेंकने लगे। एक कुआ पंचायत के ठीक सामने गांव के बीचों बीच स्थित है, आज से तीन साल पहले



तक इसमें पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में पानी रहता था लेकिन अब कुएं के ऊपर का घेरा टूट गया है और गाद जमने के वजह से कम पानी जमा होता है और इसमें भी लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। कुएं को सुधारकर साफ पानी देने योग्य बनाये जाने की संभावना है। गांव वालों का सुझाव है कि इस कुएं की मरम्मत हो जाये तो गर्मियों में पानी के लिये उपयोग किया जा सकता है लेकिन उसमें गंदगी निरंतर बढ़ती जा रही है। चौथा कुआ गांव से गुजरते बरसाती नाले पर स्थित डेम के पास है, इसमें भी पूरे वर्ष पानी

रहता है जिसके पानी से पंचायत गर्मियों में टैंकर के माध्यम से गांव में पानी का इंतजाम करती है, लेकिन इस कुएं से पूरे गांव को पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। डेम की लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है।

गांव के 21 हेन्डपम्पों में से 4-5 हेन्डपम्प सूखे एवं टूटे पड़े हैं जिनका वित्कुल उपयोग नहीं होता है। बाकी 16-17 हेन्डपम्पों में से सिर्फ 2 हेन्डपम्प ऐसे हैं जिनसे 12 माह पानी मिलता है। अन्य हेन्डपम्प साल में 6 से 8 महीने ही पानी देते हैं। स्कूल और आंगनवाड़ी वाले हेन्डपम्पों के आसपास कभी किसी योजना के तहत सोखा गडढा बनाया गया था वह पूरी तरह भर गया है एवं टूट गया है। ऊपर की छोटी बसाहट जिसमें 20 परिवार रहते हैं वहाँ 2 हेन्डपंप है, 1 हेन्डपंप में 6-8 महीने पानी मिलता है जिससे उस बसाहट के लोग पानी लेते हैं। दूसरे हेन्डपंप की पीएचई विभाग ने बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस हेन्डपंप में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है।

2018 में किसी संस्था के द्वारा स्कूल एवं आंगनवाड़ी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया था। इसके बाद से स्कूल के हेन्डपंप में गर्मी के दो महीने छोड़कर पूरे साल पानी रहता है। उसी संस्था ने 2 सार्वजनिक हेन्डपंप घर भौंडत के रूप में सोखा गडढे भी बनवाये थे, लेकिन सोखा गडढे अब बंकर हो गये हैं उनमें गंदा पानी भर जाता है और रिसता रहता है। स्कूल के प्राध्यापक एक जिम्मेदार व्यक्ति है वह छत से बनाये गये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मरम्मत और निगरानी पर ध्यान देते हैं इसलिये स्कूल की व्यवस्था चल रही है और वहाँ का हेन्डपंप भी रिचार्ज होकर लगभग 10 माह पानी दे रहा है।

संदर्भ सामग्री

इस जुड़ाव या सहभागिता की प्रक्रिया को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है

1. सभी प्रकार के हितभागियों की पहचान - दूर मोहल्लों में रहने वाले, अलग-अलग जाति एवं समुदाय के लोग, अलग-अलग तरह की आजीविका में लगे लोग। नल जल योजना से जुड़े हुये अलग-अलग विभाग जैसे पीएचई, ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधि आदि की सहभागिता आवश्यक है। कौन से हितभागी अधिकतर चुट जाते हैं और चुटे हुये ये हितभागी योजना पर कैसे अपना प्रभाव डालते हैं।
2. समुदाय को कब-कब जोड़ने की आवश्यकता है - नल जल योजना का काम



शुरू होने से पहले, काम के दौरान एवं काम पूर्ण होने के बाद उसके रखरखाव में, तीनों ही स्टेज पर समुदाय की सहभागिता जरूरी है।

3. सहभागिता हासिल करने के कुछ व्यवस्थित तरीके- समुदाय की सहभागिता से सामाजिक व संसाधन मानचित्र बनाना, ट्रांजेक्ट वाक, समूह चर्चा, ग्रामसभा का आयोजन इत्यादि। इन सभी तरीकों की उद्देश्य के अनुसार, समय-समय पर प्रयोग करने से, लोगों में समस्या के प्रति एक साझा समझ बनती है। वह समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं एवं समाधान के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं।

ऊपर दिये हुये तीनों विषयों पर चर्चा करते समय प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करें एवं नीचे दिये बिन्दुओं को साझा करें।

हितभागी (स्टेकहोल्डर) कौन है?

- पीएचई विभाग/ठेकेदार के अलावा, दूर ऊँचाई पर, टीले पर रहने वाले मोहल्लों के लोग, घरेलू पानी से संबंधित रोजगार करने वाले लोग जैसे- डेपरी, मुर्गीपालन, बकरीपालन करने वाले लोग। स्वयं सहायता समूह, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति आदि।
- घरेलू पानी का संबंध महिलाओं से अधिक होता है इसलिए महिला यहाँ प्रमुख हितभागी हैं।
- अन्य हितभागी यदि गाव में कोई है।

हितभागियों को जोड़ना क्यों आवश्यक है?

- मोहल्लों में अगर पानी नहीं पहुँचता, तो वे व्यवस्था को चलाने में सहयोग नहीं करते।
- गाड़ी, लाठी इत्यादि से पाइपलाइन तोड़ भी सकते हैं।
- जिन मोहल्लों में कम या अपर्याप्त पानी मिलेगा वहाँ के लोग कुछ दिनों बाद जल कर देना बंद कर देंगे।
- यदि सभी लोग सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तो पानी की कर्बादी होगी।
- धीरे-धीरे जमीन का पानी भी खत्म हो जायेगा।



भागीदारी कब- कब आवश्यक है?

योजना बनाने के समय

- सभी मोहल्लों में आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो।
- प्राथमताद्वारा वर्षा के उचित संग्रह-रक्षण करना ताकि सभी को प्रेशर के साथ पानी मिले एवं टूट-फूट कम हो।
- बीरोवेल हीनू जहाँ संग्रह-रक्षण एवं प्रेशर का टीका से रखा जाय हो।
- धाम कार्य योजना एवं सही डीपीआर का निर्माण।

योजना के क्रियान्वयन में

- निर्धारित मापदंडों एवं उचित सामग्री के अनुसार योजना लागू हो।
- यह देखना कि आवश्यकतानुसार और उचित निचोड़ों के अनुसार प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है।
- टेकेंदार एवं विभाग को सततता सहयोग करना ताकि काम संचालन से एवं कम खर्च में हो सके।
- खर्च की निगरानी करना।

योजना के संचालन व स्थापित में

- पंचायत को सुनिश्चित हो पड़ते वर सुनिश्चित हो कि योजना तकनीकी रूप से सही है।
- लोगों की सहमति से योग्य व्यक्ति को पंच आफिसर के रूप में नियुक्त कर उसे नियमित मानदेय देना।
- लोगों की भागीदारी से योजना संचालन के नियम बनाना एवं सचिवों से लागू करना।
- योजना की निगरानी एवं पानी की निरंतरता खर्चों को रोकने के लिए आम जनता को शामिल करना।
- गांव में जल की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए सामुदायिक प्रयास करना जैसे बीरो मैथरिजिंग, रेन वाटर हार्वैस्टिंग, खोली में पानी की बचत करना।

योजना निर्माण के समय सहभागिता प्राप्त करने के कुछ व्यवस्थित तरीके सामाजिक मापदंड

उद्देश्य के अनुसार, समुदाय के साथ मिलकर एक ऐसा नक्शा बनाना, जिसमें गांव के लोग विभिन्न बसाहटों में पानी की आवश्यकता को एक नक्शे पर साधारण तरीके से दर्शा सके। पानी की आवश्यकता को भी कुल परिवारों की संख्या, कुल घरों की संख्या के आधार पर नक्शे पर दर्शाएं। सभी की भागीदारी होने से यह समझ में आता है कि, कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं रहे हैं या कोई बसाहट ऐसी तो नहीं है जहां पानी का कोई अंश उपलब्ध ही नहीं है या फिर कहीं लोग पानी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं।

जब साथ मिलकर सभी लोग एक साथ मुद्दों पर सोच विचार करते हैं, तब वे समस्याओं के बेहतर व उपयुक्त समाधान निकालते हैं एवं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं।

संसाधन मानचित्र

संसाधन मानचित्र के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता को साधारण तरीके से नक्शे पर दर्शाया जाता है। जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से संसाधन मानचित्र में हेण्डबुक्स, कुआ, तालाब, नदी, नल जल योजना आदि की उपलब्धता, उपयोग एवं गुणवत्ता को इस मानचित्र में दिखाया जा सकता है।

यह आवश्यक है कि इस विधि को संक्षेप में पूरा करें, ताकि लोगों का सक्रिय जुड़ाव बना रहे। इसे पानी संबंधित संसाधनों पर ही केन्द्रित रखें, जैसे 8 माह चलने वाले हेण्डबुक, 12 माह चलने वाले कुए आदि का चित्र बनाकर नक्शे पर प्रदर्शित करें।



नोट : सामाजिक/संसाधन मानचित्र को पानी के उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर ही केन्द्रित रखें।

ट्राजेक्ट वाक

साधारण शब्दों में इसे गाँव में भ्रमण करना कहते हैं, लेकिन जब यह भ्रमण किसी प्रक्रिया के तहत विशेष उद्देश्य के लिये किया जाये अर्थात कहाँ पानी बह रहा है, किन मोहल्लों में पानी है किनमें नहीं, कहाँ पशु अधिक हैं, कहाँ पर खेती सूखी है, कहाँ बरसाती नाला है जिस पर चेकडैम बनाने की संभावना है, तो भ्रमण को इस व्यवस्थित प्रक्रिया को ट्राजेक्ट वाक कहते हैं। ट्राजेक्ट वाक हमेशा गाँव के लोगों के साथ ही करना चाहिए। ट्राजेक्ट वाक का उद्देश्य सिर्फ अवलोकन ही नहीं बल्कि एक सामूहिक समझ बनाना है। ट्राजेक्ट वाक के दौरान लोगों से चर्चा करते रहें, जिससे लोग मुद्दों पर संवेदनशील हों, समझ बनायें एवं आगे अनुशासित हों।

कई बार जानकारी संकलित करते समय लोग अपने निजी हित के चलते सही जानकारी नहीं देते, ट्राजेक्ट वाक के दौरान मोठे पर जाकर दून जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है। जैसे - कुआ टूटा पड़ा है, तालाब सूख जाता है या उसमें पानी रहता है, आदि।

योजना निर्माण की सहभागी प्रक्रियायें



गांव का प्रमाण (टारगेट जनका):
गांव प्रचल कर रहे साथ स्थानीय लोगों का होना जांचभयाक हे इस दौरान सर्वेक्षण इस में तकनीकी जानकारी का होना बहुत सम्भावनाक होता है।



सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र:
- बसाइट, पेयजल स्रोत, वर्तमान नल नल योजना, गांव में संस्थाएँ, गांव में नल संवर्धन संरचनाएँ, गंदले पानी का निस्कारण, रोड



वार्षिक वार्षिकी चार्ट:
- इस प्रक्रिया के माध्यम से गांव में विभिन्न पृष्ठों पर वार्षिक स्थिति का निरीक्षण करते हैं। योजनापूर्ति की स्थिति, भूमिगत नल स्तर, बीमारी, अन्य



समाप रेखा:
दिलते 50 वर्षों में निम्न बिन्दुओं पर हुई मददगार की जानकारी से विशेषकर स्रोत में हुआ बदलाव, भूमिगत परतदार में हुआ बदलाव, फसल के प्रकार, कुवाई के रखने, सिंचाई क्षेत्र, सिंचाई के स्रोत, पशुधन, नल नलित बीमारियों का प्रभाव



समाप वर्ष:
इस प्रक्रिया का उद्देश्य बसाइट एवं गांव स्तर से प्राथमिक जानकारी एकत्रित करना होता है। लोगों, गांव में संस्थाएँ, योजनापूर्ति की स्थिति, गांव में नल संवर्धन की स्थिति, नल गुणवत्ता की स्थिति

योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के दौरान सहभागिता प्राप्त करने के तरीके

- यदि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से और गुणवत्ता पूर्ण होगा, तो लोगों को नियमित और पारदर्शित मात्रा में जल आपूर्ति संभव हो सकेगी। जिससे लोगों को योजना पर भरोसा कायम होगा।
- क्रियान्वयन के दौरान लोगों के सुझावों को महत्व देने से उनमें स्वामित्व की भावना आती है।
- योजना के संचालन एवं रखरखाव संबंधी नियमों का निर्धारण समुदाय की सहभागिता से होगा तो नियमों को लागू करने में मदद मिलेगी।
- शिकायतों का त्वरित निवारण करने की व्यवस्था होना चाहिए।
- नल नल योजना के आय-व्यय का लेखाजोखा समय-समय पर समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है।

प्रथम दिवस, सत्र-4 : ग्राम कार्य योजना (वीएपी) निर्माण

सत्र के उद्देश्य

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी हितभागियों की भागीदारी से नए जल योजना की एक अच्छी कार्य योजना बनाने पर समुदाय की तैयारी पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घंटा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन, केस स्टेंडों, पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सत्र के आरंभ में पीपीटी (पहला दिन, सत्र—4, वीएपी निर्माण) के माध्यम से वीएपी के सभी घटकों और निर्माण के चरणों से परिचित कराएँ। इसके उपरान्त जल स्रोत (बोरवेल) से लेकर नए कनेक्शन तक बनायी जाने वाली ड्राइंग को समुदाय के साथ तैयार करना, ताकि विभाग/डेकेदार के साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त मोहल्लेदार घानी की आवश्यकता एवं योजना द्वारा उपपूर्ति का भी आकलन हो सके।
- सत्र के प्रारंभ में पिछले सत्र की केस स्टेंडी में वशीपुर गांव के किन-किन मोहल्लों को घानी नहीं मिल रहा था और कहाँ पर कम प्रेशर के कारण पर्याप्त घानी नहीं मिलता था, इसके क्या कारण थे, जैसे बिन्दुओं पर खुली चर्चा करके ध्यान आकर्षित कराएँ।
- ग्राम विकास योजना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक दस्तावेज भी है, जिसके आधार पर डीपीआर बनायी जाती है और योजना में लगने वाली लागत निर्धारित की जाती है। अगर यह ठीक प्रकार से नहीं बनायी जाती है तो संभवना है कि कुछ मोहल्ले छूट जायें, किसी कम घानी देने वाले बोर में ही मोटर डाल दी जाये या फिर छोटी टंकी का निर्माण हो जाये आदि। ग्राम कार्य योजना एक विस्तृत दस्तावेज है जिसे साधारणतया आईएसए द्वारा पंचायत एवं समुदाय की सहभागिता से बनाया जाता है। लगभग 50 प्रतिशत गांव की ग्राम कार्य योजना बनकर जेजेएम पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।
- संस्था के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि वह इस ग्राम कार्य योजना को प्राप्त करके लोगों के साथ साझा करें। यदि ग्राम कार्य योजना नहीं बनायी गई है तो लोगों के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना बना लें जिसे ग्रामसभा में पारित करवा कर जब विभाग का काम आरंभ हो तो विभाग एवं डेकेदार से साझा करें। पंचायत एवं समुदाय की कार्ययोजना की पहली से तैयारी होगी तो नएजल योजना का क्रियान्वयन बेहतर होगा।

आगे के सत्रों में वीएपी के प्रमुख घटक जिसमें जल स्रोत की पहचान से लेकर नए कनेक्शन, जल सुरक्षा योजना,

पानी की गुणवत्ता, गंदे पानी का प्रबंधन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया जायेगा। यहाँ हम वीएपी निर्माण प्रक्रिया की स्थिति अनुसार समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है, इस पर बात करेंगे।

वीएपी निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागों में देखा जा सकता है :-

पहला - जहाँ वीएपी बन चुका है और नल जल योजना का काम भी पूरा हो गया है।

• यदि कोई मोहल्ला/घर छूट गये हैं या कुछ जगह पर पानी कम प्रेशर से आता है या कम समय के लिए आता है, कुछ जगह पर पाइपलाइन में लीकेज है तो वहाँ छूटे मोहल्लों में पाइपलाइन विछाने, सभी घरों में प्रेशर के साथ पानी लेवू वाला लगाने या पाइपलाइन की मरम्मत आदि के लिए अनुपूरक वीएपी बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरोक्त ग्राम पंचायत को दें।

दूसरा - जहाँ वीएपी बन चुका है और नल जल योजना का काम चल रहा है।

• विभाग/डेकेटर से नक्शा लेकर उसको समुदाय के साथ साझा कर लें। यदि कोई मोहल्ला या घर कार्य योजना में छूट रहा हो तो उसके लिये पूरक वीएपी बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरोक्त ग्राम पंचायत को दें। पाइपलाइन सही से उचित गहराई में बिछाई जाने, जलसत अनुसार वाल्व लगाने जाये, घर के अंदर नल कनेक्शन लगे इसकी निगरानी करें।

तीसरा - जहाँ अभी वीएपी नहीं बना है।

• सभी हितधारकों के साथ दो-अधे जल सोलों की पहचान व चयन, पानी की टंकी का स्थान, कुत नल कनेक्शन की संख्या, वाल्व कहाँ-कहाँ लगाने है, पाइपलाइन कहाँ से बिछायी जायेगी, आदि विषयों पर सामूहिक निर्माण के साथ अथक और विचलता वीएपी बनाया जा सकता है।

नोट : प्रशिक्षक प्रतिभागियों को 3 समूहों में बाँटकर वीएपी निर्माण उपरोक्त तीनों स्थितियों में एक-एक स्थिति समूह को देकर समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है इस पर समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण करा सकते हैं।

कार्य योजना निर्माण के चक्र



वीएपी में दिये गये पानी के स्रोत एवं जल वितरण पाइपलाइन का नक्शा

चूंकि वीएपी का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के स्रोत से हर घर में नल कनेक्शन का खांका बनाना है, इसलिए इस सत्र में इस बिन्दु पर विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है।

पंचायत, पीएचई विभाग/ठेकादार ने यदि कोई इस तरह का नक्शा बनाया है, तो उसे छाप कर लोगों के साथ साझा करके उस पर सामूहिक चर्चा की जा सकती है। अगर कोई बसाहट इस योजना में छूट गयी है तो उसका एक पूरक प्लान बनाकर विभाग को दें, ताकि उस बसाहट को योजना में शामिल किया जा सके।

यदि इस प्रकार का कोई नक्शा एवं डीपीआर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो समुदाय के साथ मिलकर मोहल्ले में ट्राजेक्ट वाक, सामाजिक मानचित्र बनाकर एक मोटा खांका तैयार करें जिसमें मोहल्लेदार घरों एवं पशुओं की जनसंख्या के आधार पर नल कनेक्शन की संख्या, पाइपलाइन बिछाने के रास्ते एवं वास्तव कहां-कहीं पर लगना चाहिए इसका एक मोटा नक्शा तैयार कर सकते हैं। यह एक विस्तृत वीएपी नहीं है, लेकिन नलजल योजना लगाने के लिए बहुत उपयोगी होगा।



वीएपी की समीक्षा में निम्न प्रमुख बातों का ध्यान रखें -

प्रमुख घटक	ध्यान देने योग्य बातें
पानी का स्रोत	कम से कम 2 या अधिक ऐसे स्रोत जिनमें 12 माह पानी रहता है।
पाइपलाइन का बिछाव	सभी मोहल्ले और सभी घरों तक पर्याप्त पानी की उपलब्धता। जो मोहल्ले ऊंचाई पर है और अधिक प्रेशर होने पर ही वहां पानी पहुंचेगा तो उसकी व्यवस्था कैसे बनायी गयी है। पाइपलाइन सुरक्षित रास्तों पर है जहां टूट-फूट कम होगी, गहराई पर है एवं नातिपाई इलाकों से दूर है।
पशुओं इत्यादि की	जिन मोहल्लों या घरों में पालतू पशु हैं या पानी संबंधित व्यवसाय है वहां पर

आवश्यकता का आकलन

इस बात को ध्यान में रखते हुए पड़ोस्ताइल विडिया।

टंकी का निर्माण

अगर घनी बसाहट या बड़ा गांव है तो टंकी का निर्माण होना चाहिए। लगभग कितनी क्षमता की टंकी की जरूरत पड़ेगी और कौन सा स्थान टंकी के लिये सही होगा।


अगर किन्हीं मोहल्लों के पतल स्रोतों में फ्लोराइड या अन्य रासायनिक तत्व बहुत अधिक हैं तो उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है उसका वर्णन।

नियोजन प्रक्रिया के चरण





द्वितीय दिवस



द्वितीय दिवस, सत्र-2 : नल जल योजना की डिजाइन – ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन, जल वितरण लाइन आदि

सत्र के उद्देश्य

नल जल योजना के निर्माण के दौरान बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घंटा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को संख्या अनुसार 4-5 समूह में बाँटें।
- प्रत्येक समूह को जल स्रोत से लेकर धरेलू कनेक्शन तक बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों के फोटो का एक-एक सेट, चार्ट पेपर, चिपकाने के लिए गोंद और मार्कर पेन प्रदान करें। यदि फोटो रंगीन हों तो अच्छा होगा।
- समूहों को दिये गए फोटो सेट को तकनीकी रूप से उचित क्रम में चार्ट पेपर पर चिपकाते हुए नल जल योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए कहें। साथ ही मार्कर पेन की मदद से हर एक संरचना एवं अवयव का नाम भी लिखने के लिए कहें।
- समूह कार्य पूर्ण होने पर बारी-बारी से समूहों को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करें। प्रस्तुतिकरण के दौरान समूहों को संरचनाओं और अवयवों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहें। प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने तथा सुझाव देने के लिए समय प्रदान करें।

समूहों के प्रस्तुतिकरण में नल जल योजना से संबंधित किन संरचनाओं और अवयवों की जानकारी पर स्पष्टता नहीं बन पायी हो पीपीटी (दूसरा दिन, सत्र-2, नल जल योजना की डिजाइन) के माध्यम से स्पष्ट करावें।

संदर्भ सामग्री

जल आपूर्ति के आयाम

वर्तमान तथा आगामी 25 साल बाद की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पानी की जरूरत के आँकड़ों अनुसार जलापूर्ति संबंधी संरचनाओं को डिजाइन कर निर्माण कराया जायेगा। जल आपूर्ति के प्रमुख आयाम -

1. जल स्रोत
2. पम्प के प्रकार एवं क्षमताएँ
3. राइजिंग मैन पाइपलाइन
4. पम्प हाउस / स्टाटर पाइन्ट
5. जल वितरण व्यवस्था
 - स्पॉट सोर्स (सोर्स से घर तक सीधी सप्लाई)
 - स्पॉट सोर्स (सोर्स के पास छोटा टैंक बनाकर सप्लाई)
 - सम्य (जनसंख्या के आधार पर)
 - ओवर हेड टैंक (जनसंख्या के आधार पर)
6. जल वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन
7. बेंक वाल्व
8. फेरुल
9. घर के अन्दर नल का कनेक्शन
10. स्टेबल पोस्ट एवं टोटी

1. जल स्रोत

जल जीवन मिशन के लिए मूल रूप से गाँव की सीमा के अन्दर उपलब्ध पानी के स्रोत को जल आपूर्ति के लिए चयन किया जाता है ताकि योजना की लागत को कम किया जा सके।

- योजना बनाने के लिए ग्राम की सीमा के अंदर या आसपास के उपलब्ध पानी के स्रोतों में नदी, कुएँ, सोरखेल, बाकड़ी, तालाब, बांध, नहर आदि हो सकते हैं।
- नल जल योजना के लिये भूमिगत एवं सतही दोनों ही जल स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में हर घर नल जल योजना में ज्यादातर भूमिगत जल स्रोतों का ही



उपयोग किया जा रहा है।

जल स्रोत का स्थल चयन

- नल जल योजना में दो से अधिक जल स्रोतों का चयन जरूरी है ताकि विकल्प के रूप में जल स्रोत की उपलब्धता एवं जल वितरण की निरन्तरता बनी रहे।
- किसी भी गांव में नल जल योजना के लिए भूमिगत जल स्रोत का उपयोग करना हो तो स्रोत चयन के लिए स्थानीय जानकारों, बुजुर्ग एवं भूजल-वैज्ञानिक (जिओ हाइड्रोलॉजिस्ट) से मदद लेकर सही जल स्रोतों का चयन किया जाना चाहिए और उसकी पूर्ण जानकारी पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए ताकि भविष्य में रखरखाव में आसानी हो।
- जल स्रोतों का चयन करते समय ध्यान रखना होगा कि चयनित स्रोत लम्बे समय तक (कम से कम 30-35 साल) पानी उपलब्ध करा सके।
- जहां तक संभव हो जल स्रोत का चयन और निर्माण सरकारी जमीन पर ही किया जाना चाहिये।
- किसी गांव में अगर सरकारी जमीन पर उचित जल स्रोत नहीं मिल पा रहा हो तो निजी जमीन पर भी जल स्रोत का चयन एवं निर्माण कराया जा सकता है।
- यदि जल स्रोत का निर्माण निजी जमीन पर किया जा रहा है तो ग्राम की आम बैठक बुलाकर जमीन के मालिक से अनुमति या सहमति / दान पत्र दोनों पक्षों के दो-तीन गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लेना होगा एवं उक्त जमीन के परिसेभन को पंचायत के रिकार्ड में भी दर्ज कराना होगा।
- जल स्रोत के उपयोग से पहले जल की गुणवत्ता जांच की जाती है एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के बाद इंजीनियर की सलाह पर जल वितरण के लिये स्रोत को राइजिंग मेन पाइपलाइन से जोड़ा जाता है।
- स्रोतों को राइजिंग मेन पाइपलाइन से या समय के साथ जोड़ने के बाद टेस्टिंग कर देखना होगा कि कहीं लीकेज तो नहीं है। लीकेज होने की स्थिति में तत्काल सुधार करना होगा ताकि पानी की बर्बादी न हो, पानी फैलने के कारण गंदगी न हो और पाइपलाइन के अंदर किसी तरह की गंदगी न जा पाये।

2. पम्प के प्रकार एवं क्षमता

पम्प एक मैकेनिकल उपकरण है जो भूमिगत या सतही पानी उठाने के लिए एवं जल स्रोत से पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए उपयोग किये जाते हैं। पम्प के हासपावर (एच पी) पर निर्भर करता है कि वह कितनी गहराई से पानी खींच सकता है एवं कितना दूरी तक भेज सकता है।

साधारणतः पम्प बिजली द्वारा संचालित किये जाते हैं, कितने अधिक हासपावर का पम्प होगा बिजली का खर्च या

सागत उतनी अधिक होगी।

विभिन्न हार्सपावर के पम्प एवं उनकी क्षमताएं

पम्प	पम्प क्षमता	कितने फेज के विजली कनेक्शन की आवश्यकता	पम्प के उपयोग के लिये पाइप का आकार	कितनी गहराई से घानी उठाने की क्षमता
	1HP	सिंगल फेज	हेण्डपम्प में लग सकता है (Dia upto 4")	300 फिट तक
	2HP	सिंगल फेज	हेण्डपम्प में लग सकता है (Dia upto 4")	300 फिट तक
	5.0/7.5HP	तीन फेज	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट तक
	10 HP	तीन फेज	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट से अधिक
	12.5 HP	तीन फेज	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट से अधिक

3. राइजिंग मेन पाइपलाइन

- राइजिंग मेन पाइपलाइन उस पाइपलाइन को कहा जाता है जो जल स्रोत से पानी को मुक्तिकरण प्लांट सम्म या जहाँ पानी संग्रह किया जा रहा है वहाँ तक ले जाने का काम करती है।
- राइजिंग पाइपलाइन बिछाते समय इस बात को विशेष निगरानी करनी होगी कि यह कम से कम तीन फिट गहराई में खोदी जाये।
- राइजिंग पाइपलाइन किसी भी जल जमाव क्षेत्र के पास से या नाली के साथ नहीं बिछायी जानी चाहिए।
- योजना ड्रैफ्ट और के पहले टेस्टिंग के समय जांच कर लेना चाहिये कि कहीं राइजिंग पाइपलाइन में किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है।
- राइजिंग पाइपलाइन के लिये 110 मिमी एच.डी.पी. ई. पाइप का उपयोग किया जाता है। (सन्दर्भ: डीपीआर)

4. पम्प हाउस/ स्टार्टर पाइन्ट

पम्प हाउस : पम्प हाउस विभिन्न तकनीकों व विजली उपकरणों को सुरक्षित रखने का स्थान/ घर है, जहाँ से मुख्य जोड़ से घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाता है।

स्टार्टर पाइन्ट : विभिन्न विजली उपकरणों को संचालित करता है, जैसे - मोटर पम्प, जस्टोमोशन मीटर आदि।



5. जल वितरण व्यवस्था

- सॉट सीर्स (सीर्स से घर तक सीधी सप्लाई)
- सॉट सीर्स (सीर्स के पास छोटा टैंक बनाकर सप्लाई)
- सम्य (जनसंख्या के आधार पर)
- ओवर हेड टैंक (जनसंख्या के आधार पर)



स्रोत से सीधा घरों तक सप्लाई

कम आबादी वाले गांव या मुख्या गांव से दूर दराज छोटे टोलों में (वर्तमान में 50 से 100 घर की आबादी) जल स्रोत से पम्प द्वारा पानी लिफ्ट कर सीधे वितरण पाइपलाइन में भेजा जाता है और वितरण पाइपलाइन से दिये गए नल कनेक्शन के माध्यम से पानी घरों में पहुंचता है।

स्रोत से छोटे सामुदायिक चाटर टैंक के द्वारा सप्लाई

- कम आबादी वाले दूर दराज के छोटे टोलों में जल स्रोत के पास एक सामुदायिक टंकी लगाकर पानी की सप्लाई की जाती है।
- स्रोत के पास ही पम्प को चालू करने का स्टार्टर पाइन्ट होता है। संबंधित टोला का कोई जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम पंचायत और जल समिति द्वारा निर्धारित समयनुसार पम्प को चलाकर टंकी को भरता है और लोग टंकी से अपनी जरूरत अनुसार पानी भरकर ले जाते हैं।



सम्य से घरों तक सप्लाई

स्रोत से राइजिंग मेन पाइपलाइन द्वारा सम्य तक पानी लाकर शुद्धिकरण के बाद वितरण पाइपलाइन के माध्यम से घरों में पानी की सप्लाई की जाती है।

- सम्य साधारणतः गीलाकार कुआनुमा कमरा होता है।
- सम्य के साइज/क्षमता का निर्धारण गांव की वर्तमान के साथ-साथ आगामी 25 वर्ष की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि का अंकलन कर किया जाता है।
- कम आबादी वाले गांव में सम्य से भी पानी की सीधी सप्लाई की जाती है।
- आबादी की जरूरत के आधार पर विभिन्न क्षमता वाले सम्य में दिन में दो या तीन बार पानी भर कर घरों में

पानी उपलब्ध कराया जाता है।

- समय में पानी का शुद्धिकरण कर सीधा घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।
- साल में कम से कम दो बार समय की साफ-सफाई जरूरी है।
- समय की सफाई से पहले गांव में सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग जरूरत का पानी भर कर रख सकें।

ओवरहेड टैंक से घरों तक सप्लाई

स्रोत से राइजिंग में पाइपलाइन द्वारा समय तक पानी लाया जाता है। समय में क्लोरीनेशन फिल्टर द्वारा पानी का शुद्धिकरण कर ओवरहेड टैंक में भरा जाता है। फिर निर्धारित समयनुसार वितरण पाइपलाइन द्वारा घरों में पानी की सप्लाई की जाती है।




- ओवरहेड टैंक का साइज /क्षमता का निर्धारण गांव की वर्तमान के साथ-साथ आगामी 25 वर्ष की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किया जाता है।
- ओवरहेड टैंक गांव में ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहां से सभी मोहल्लों/ टोलों एवं घरों में उचित प्रेशर के साथ जल आपूर्ति की जा सके।
- जरूरत के अनुसार ओवरहेड टैंक को दिन में दो या तीन बार भर कर जल आपूर्ति की जाती है।
- ओवरहेड टैंक में पानी के ओवर फ्लो को रोकने के लिए समय हाउस में ऑटोमेशन मीटर लगाया जाता है।
- ऑटोमेशन मीटर से पानी की आपूर्ति की मात्रा का आकलन भी किया जाता है एवं इसकी निगरानी से जल आपूर्ति में निरन्तरता बनी रहती है।
- ओवरहेड टैंक को कम से कम साल में दो बार साफ-सफाई अवश्य की जानी चाहिए।
- ओवरहेड टैंक की साफ-सफाई के पहले गांव में सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग जरूरत का पानी भर कर रख सकें।

6. जल वितरण या डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन

- डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन स्रोत से सीधा घरों तक, समय या ओवरहेड टैंक से घरों तक पानी पहुंचाने के लिये

बिछायी जाती है।

- सभी घरों में उचित प्रेशर से पानी पहुंचे इसके लिये घरों की संख्या के आधार पर जगह-जगह चेक वाल्व लगाये जाते हैं।
- वितरण पाइपलाइन को जमीन के अंदर 3 फीट गहरी नाली खोद कर बिछाया जाना चाहिए।
- वितरण पाइपलाइन को किसी भी स्थिति में जल जमाव वाले क्षेत्र के पास से या नालियों के साथ नहीं बिछाया जाना चाहिए।
- वितरण पाइपलाइन में फेरूल लगाकर घरों में नल कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।



- सभी घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिये इस बात का ध्यान रखना होगा कि वितरण पाइपलाइन गांव की सभी गलियों में अन्तिम छोर के घरों तक बिछायी गई हो ताकि हर घर में नल कनेक्शन दिया जा सके।
- वितरण पाइपलाइन के लिये 50 मिमी के पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है। (सन्दर्भ: डीपीआर)

7. चेक वाल्व

- सभी घरों में उचित प्रेशर से पानी पहुंचे इसके लिये उचित दूरी या मानक को ध्यान में रखते हुए चेक वाल्व लगाये जाने का प्रावधान है।
- चेक वाल्व लगाने के लिए निर्धारित मानक अनुसार एक चेंबर बनाया जाता है।
- अगर डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन समतल जमीन पर बिछाई जा रही है तो एक चेक वाल्व से दूसरे चेक वाल्व के बीच 30 से 35 घरों में उचित प्रेशर के साथ पानी उपलब्ध करायेगा।
- अगर डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो इतना के अनुरूप एक चेक वाल्व से 10-15 घरों से ज्यादा घरों में कनेक्शन होने पर उचित प्रेशर के साथ पानी पहुंचाने में दिक्कत होगी।
- चेक वाल्व जल जमाव वाली जगह या इतनी क्षेत्र जहाँ बरसात का पानी अन्दर जाने की सम्भावना हो या नाली के पास या साथ में नहीं बनाना चाहिए।



8. फेरुल

- डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन से घरों में नल कनेक्शन देने के लिये 1.5 इंच मानक के पीपल के फेरुल लगाये जाने का प्रावधान है।
- साथ ही इस प्रकार के फेरुल लगाने का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक पानी लेने के लिये अपने नल कनेक्शन में मोटर लगाता है तो उस घर की पानी सप्लाई ऑटोमैटिक बन्द हो जाये ताकि अन्य घरों में बिना रुकावट के प्रेशर के साथ पानी उपलब्ध हो सके।



9. घर के अन्दर नल कनेक्शन

- डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन सभी गली/मोहल्लों में बिछायी जाती है ताकि हर घर के अन्दर आसानी से नल कनेक्शन दिया जा सके।
- घरेलू कनेक्शन तभी पूर्ण माना जाता है जब घर के अन्दर सही स्थान पर घर वालों की सहमति से स्टेण्ड पोस्ट के साथ टोटी लगायी गई हो और सही प्रेशर के साथ पानी आता हो।

10. स्टेण्ड पोस्ट एवं टोटी

- स्टेण्ड पोस्ट ऐसे स्थान पर हो जहाँ पानी भरने में परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- पानी व्यर्थ न बहे और दूसरे घरों में सही प्रेशर के साथ पानी पहुंच सके इसके लिये नल कनेक्शन में टोटी लगाना बेहद जरूरी है। डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन से घर में दिये जाने वाले कनेक्शन हेतु 20 मिमी के पीपीसी पाइप का उपयोग किया जाता है। (सन्दर्भ: डीपीआर)



द्वितीय दिवस, सत्र-3 : जल सुरक्षा योजना

सत्र के उद्देश्य

- जल सुरक्षा क्या है एवं क्यों जरूरी है?
- जल बजट क्या है? कैसे बनाते हैं? इस पर समझ विकसित करना।
- गांव की जल सुरक्षा योजना कैसे बनावे पर समझ विकसित करना।
- स्रोत स्थापित संबंधी गतिविधियों को कार्य योजना में शामिल करने पर समझ विकसित करना।

समयावधि : 2 घंटा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, केस स्टडी एवं पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 3 उप सत्रों और समय में बांटा गया है -

पहला उप सत्र : जल सुरक्षा योजना एवं गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना - 45 मिनट

दूसरा उप सत्र : संसाधन मानचित्र एवं गांव में जल की उपलब्धता की गणना - 45 मिनट

तीसरा उप सत्र : ग्राम की जलापूर्ति एवं मांग के अनुसार जल जल सुरक्षा योजना बनाना - 30 मिनट

पहला सत्र - जल सुरक्षा योजना एवं गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से प्रश्न करें- जल सुरक्षा योजना क्या होती है? प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करें। दिये गये जवाबों में से जल सुरक्षा योजना को स्पष्ट करने वाले जवाबों को दोहराये एवं पीपीटी (दूसरा दिन, सत्र-3, जल सुरक्षा योजना) के माध्यम से जल सुरक्षा योजना को स्पष्ट करें।

जल ही जीवन है। गांव में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिये जल की उपलब्धता हेतु बनाई जाने वाली संरचनाओं, उनकी सुरक्षा एवं स्थापित के लिये तैयार की जाने वाली योजना को जल सुरक्षा योजना कहा जाता है। इस योजना में मौजूदा जल स्रोतों में उपलब्ध जल को सुरक्षित रखने एवं वर्ष भर की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिये की जाने वाली गतिविधियों का लेखा-जोखा होता है।

जल सुरक्षा योजना के तीन प्रमुख घटक होते हैं

1. गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना।
2. गांव में उपलब्ध जल की मात्रा की गणना।
3. आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतर का आकलन कर, अंतर को घटाने के लिये जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की गतिविधियां तय करना।

इस स्तर में हम गांव के जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना करना सीखेंगे। इसके लिए प्रतिभागियों को चार से पांच समूहों में बांटे। समूहों को अलग-अलग बैठायें एवं केस स्टडी (वंशीपुर ग्राम) वितरित कर, ध्यान से पढ़ने के लिए कहें।

गांव में मुख्यतः तीन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है - घरेलु उपयोग, पशुधन के लिए एवं कृषि कार्य के लिए। प्रतिभागियों को केस स्टडी में दी गई कुल गांव की कुल जनसंख्या, पशुओं (प्रजाति वार) की संख्या एवं खेती (फसल वार) का रकबा निकालने के लिये कहें।

घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

व्यक्तिगत / घरेलु कार्य के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 55 लीटर पानी लगता है। घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	जनसंख्या	प्रतिदिन पानी की आवश्यकता (लीटर)	पानी की वार्षिक आवश्यकता (2x3x4)	टिपण्णी
1	2	3	4	5
1	1500	55	3,01,12,500	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आवश्यकता आंकित है।

(नोट - जनसंख्या वंशीपुर ग्राम (केस स्टडी) को ली गई है।)

गांव की कुल जनसंख्या (1500) X 55 X 365 = 3,01,12,500

वंशीपुर गांव में कुल 1500 लोग रहते हैं। पहले 1500 को 55 से गुणा करें (1500 X 55) जिससे गांव में एक दिन में घरेलु उपयोग के लिए कितने जल की आवश्यकता है निकल आएगी (82,500 लीटर)। वार्षिक जरूरत निकालने के लिए इसे (82,500) को 365 (1 वर्ष में कुल दिन) से गुणा करें (82500 X 365) जिससे गांव में घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता निकल आएगी (3,01,12,500)।

पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

अलग-अलग पशुओं को प्रतिदिन अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बड़े पशुओं (गाय / बैल / भैंस) को प्रतिदिन 70 लीटर, छोटे पशुओं (भेड़ / बकरी) को प्रतिदिन 20 लीटर एवं मुर्गा / मुर्गी को प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गांव में पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	पशुधन का प्रकार	कुल संख्या	पानी की आवश्यकता प्रतिदिन प्रति पशु (लीटर)	पशुओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता (3x4x365)
1.	2	3	4	5
1	बड़े पशु (गाय / बैल / भैंस)	450	70	1,14,97,500 लीटर
2	छोटे पशु (भेड़ / बकरी)	160	20	11,68,000 लीटर
3	मुर्गा / मुर्गी	100	02	73,000 लीटर
पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता				1,27,38,500 लीटर

(नोट - पशुधन की संख्या वंशीपुर ग्राम (केस स्टडी) की ली गई है।)

पशु की संख्या X (70/20/2 लीटर- पशु के प्रकार के हिसाब से) X 365 = 1,27,38,500 लीटर

वंशीपुर ग्राम में पशुधन के लिए वार्षिक पानी की आवश्यकता :

बड़े पशुओं के लिए - बड़े पशु (गाय/ बैल/ भैंस) की संख्या (450) X 70 X 365 = 1,14,97,500 लीटर

छोटे पशुओं के लिए - छोटे पशु (भेड़ / बकरी) की संख्या (160) X 20 X 365 = 11,68,000 लीटर

मुर्गा / मुर्गी के लिए - मुर्गा / मुर्गी की संख्या (100) X 2 X 365 = 73,000 लीटर

(ऊपर के तीनों प्रकार को जोड़कर पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी -

$1,14,97,500 + 11,68,000 + 73,000 = 1,27,38,500$ लीटर)

कृषि के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना :

अलग-अलग फसलों को प्रति एकड़ अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ के लिए लगभग 8 लाख लीटर प्रति एकड़ एवं चना के लिए 3 लाख लीटर प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। गांव में कृषि के लिए

पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	फसल की किस्म (रबी)	बोया जाने वाला कुल रकबा (एकड़)	सिंचाई हेतु कुल पानी की दर (लीटर प्रति एकड़)	कुल पानी की आवश्यकता (लीटर) (3x5)
1	2	3	4	5
1	गेहूँ	800	8,00,000	64,00,00,000 लीटर
2	चना	800	3,00,000	24,00,00,000 लीटर
कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी				88,00,00,000 लीटर

(नोट - गेहूँ एवं चना का रकबा वशीपुर ग्राम (केस स्टडी) से ली गई है, सभी फसलों की पानी की आवश्यकता अलग - अलग होती है।)

फसल का रकबा X 8 लाख/ 3 लाख (फसल के प्रकार अनुसार) = 88 करोड़ लीटर

गेहूँ के लिए - फसल का रकबा (800 एकड़) X 8,00,000 = 64,00,00,000

चना के लिए - फसल का रकबा (800 एकड़) X 3,00,000 = 24,00,00,000

(ऊपर के दोनों फसलों को जोड़ कर कृषि के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी -
 $64,00,00,000 + 24,00,00,000 = 88,00,00,000$ लीटर)

घरेलू उपयोग, पशुधन एवं कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी को जोड़कर गांव की कुल पानी की आवश्यकता निकल जाएगी ($3,01,12,500 + 1,27,38,500 + 88,00,00,000 = 92,28,51,000$)।

क्र.	पानी की आवश्यकता का प्रकार	कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता
1	घरेलू उपयोग	3,01,12,500
2	पशुधन	1,27,38,500
3	कृषि कार्य	88,00,00,000
गांव में पानी की कुल आवश्यकता		92,28,51,000

वंशीपुर ग्राम को पूरे साल में लगभग 92 करोड़ 28 लाख 51 हजार लीटर पानी की आवश्यकता है।

टिपण्णी - प्रशिक्षक पानी की आवश्यकता का आकलन प्रतिभागियों से भी साथ में कराये और हर एक घटक के हिसाब से पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना बोर्ड या चार्ट पेपर पर लिखते जायें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी समूह की गणना एक सामान आवे।

दूसरा सत्र - संसाधन मानचित्र एवं गांव में जल की उपलब्धता की गणना

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र में भी हम पहले सत्र में बनाये गये समूहों में ही काम करेंगे। प्रतिभागियों से प्रश्न करें- संसाधन मानचित्र क्या होता है? प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करें। दिये गये जवाबों में से संसाधन मानचित्र को स्पष्ट करने वाले जवाबों को दोहराये एवं समूह को वंशीपुर ग्राम के बारे में पढ़कर चार्ट पेपर पर गांव का संसाधन मानचित्र बनाने के लिए कहें।

संसाधन मानचित्र में गांव के सभी संसाधनों (जंगल, सोत, तालाब, हैंडपंप, कुआँ, नदी, नाला, पंचायत, स्कूल, अंगनवाड़ी, आदि) गांव के मानचित्र पर दर्शाया जाता है। संसाधन मानचित्र गांव में जल की उपलब्धता की गणना करने और जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की योजना बनाने में सहायक होता है।

संसाधन मानचित्र बनाने के बाद हम गांव में जल की वार्षिक उपलब्धता की गणना करना सीखेंगे। गांव में मुख्यतः दो जगह से पानी आता है - वर्षा जल एवं गांव में मौजूद समस्त स्रोतों में उपलब्ध पानी, जिसकी जानकारी केस स्टेडी में दी गई है। केस स्टेडी से प्रतिभागियों को गांव का कुल रकबा, औसत वर्षा एवं सभी जल स्रोतों की जानकारी (संख्या, लम्बाई, ऊंचाई, चौड़ाई / त्रिज्या) निकालने के लिये कहें।

गांव में वर्षा से उपलब्ध जल की गणना

बरसात में गिरने वाला पानी जल का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन औसत वर्षा जल का मात्र 6% जल ही जमीन के अंदर जा पाता है (मिट्टी के प्रकार के अनुसार यह बदल सकता है)। गांव में वर्षा से उपलब्ध पानी की गणना निम्न प्रकार से करें -

गांव का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) x औसत वर्षा (घन मीटर) x (6 / 100) x 1000 = 37,39,42,800 लीटर

(क्षेत्रफल को एकड़ से मीटर में राने के लिए एकड़ में 4047 से गुणा कर दें। वंशीपुर गांव का रकबा 2200 x 4047 = 89,03,400 वर्ग मीटर)

क्र.	विवरण	ग्राम का रकबा (वर्ग मीटर) - एकड़ x 4047	गांव में औसत वर्षा (मीटर)	जमीन में जाने वाला पानी	वर्षा से उपलब्ध पानी (लीटर) $(3 \times 4 \times 5) \times 1000$
1	2	3	4	5	6
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	89,03,400	0.7	0.6	37,39,42,800

(नोट - यहाँ वर्षा जल की गणना वंशीपुर (केस स्टडी) के हिसाब से की गई है। आप अपने जिले की औसत वर्षा ले सकते हैं। वर्षा जल का कितना प्रतिशत पानी गांव में रह पाता है, यह भूमि की संरचना पर निर्भर करता है।)

वंशीपुर ग्राम का रकबा 89,03,400 वर्ग मीटर है, इसमें हम गांव की औसत वर्षा (0.7) का गुणा करेंगे फिर उत्तर की 0.06 से गुणा करेंगे तो हमें वर्षा से प्राप्त जल घन मीटर में मिल जाएगा। वर्षा से प्राप्त जल को लीटर में बात करने के लिए हम उत्तर को 1000 से गुणा करेंगे।

$$(8903400 \times 0.7 \times 0.06 \times 1000 = 37,39,42,800 \text{ लीटर})$$

ग्राम के समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना

गांव में मुख्यतः दो प्रकार की संरचना होती है - गोल कुआँ एवं चौकोर (तालाब / डैम इत्यादि) जिनमें जल भण्डारण की गणना निम्न प्रकार से की जाती है -

क्र.	स्रोत का प्रकार	संख्या	साइज	कुल भण्डारण क्षमता (लीटर) $(3 \times 4 \times 1000)$
1	2	3	4	5
1	कुआँ	10	$3.14 \times (\text{कुएँ का त्रिज्या} \times \text{कुएँ का त्रिज्या}) \times \text{कुएँ की गहराई (मीटर में)}$	27,12,960
2	तालाब	2	लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मीटर में)	7,20,000
3	डैम	1	लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मीटर में)	60,00,000
ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी				94,32,960

(नोट - गणना को सरल रखने के लिए सभी कुआँ / तालाब / डैम की त्रिज्या / लम्बाई / ऊंचाई / चौड़ाई / गहराई एक समान (औसत) ली गई है।)

कुँएँ - कुँए की संख्या X 3.14 X (कुँए का त्रिज्या X कुँए का त्रिज्या) X कुँए की गहराई X 1000

वंशीपुर ग्राम में कुल 18 कुँए हैं जिनकी औसत त्रिज्या 2 मीटर है और औसत गहराई 12 मीटर है। गाँव में कुल कुँए की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

$$18 \times 3.14 \times 2 \times 2 \times 12 \times 1000 = 27,12,960 \text{ लीटर}$$

डेम / तालाब - डेम / तालाब की संख्या X लम्बाई X चौड़ाई X ऊँचाई (मीटर में) X 1000

वंशीपुर ग्राम में कुल 2 तालाब हैं जिनकी औसत लम्बाई 10 मीटर, औसत चौड़ाई 12 मीटर औसत ऊँचाई 3 मीटर है। गाँव में कुल तालाब की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

$$2 \times 10 \times 12 \times 3 \times 1000 = 7,20,000 \text{ लीटर}$$

वंशीपुर ग्राम में 1 डेम भी है जिसकी लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊँचाई 1 मीटर है। गाँव में डेम की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

$$1 \times 600 \times 10 \times 1 \times 1000 = 60,00,000 \text{ लीटर}$$

(ऊपर के विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध पानी को जोड़ कर गाँव में ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना की जा सकती है - $27,12,960 + 7,20,000 + 60,00,000 = 94,32,960$ लीटर)

वर्षा जल एवं ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी को जोड़कर गाँव में कुल पानी की उपलब्धता निकल जाएगी ($37,39,42,800 + 94,32,960 = 38,33,75,760$)।

क्र.	पानी की उपलब्धता की किस्म	गाँव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	37,39,42,800
2	ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी	94,32,960
गाँव में कुल पानी की उपलब्धता		38,33,75,760

वंशीपुर ग्राम में पूरे वर्ष में लगभग 38 करोड़ 33 लाख 75 हजार लीटर पानी उपलब्ध है।

तीसरा सत्र - ग्राम की जलापूर्ति एवं मांग के अनुसार जल सुरक्षा योजना

सत्र संचालन प्रक्रिया

पहले के दोनों सत्रों में हमने गांव के वार्षिक जल की कुल आवश्यकता एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को ज्ञात करना सीखा। इस सत्र में हम गांव में जल की आवश्यकता एवं गांव में कुल उपलब्ध जल में अंतर निकालना सीखेंगे साथ ही इस अंतर को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं जिससे गांव में सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके इस पर चर्चा करेंगे।

गांव में जल की कुल वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में उपलब्ध कुल जल में अंतर

पहले के सत्रों में ज्ञात की गई गांव में वार्षिक जल की कुल आवश्यकता में से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को घटाकर यह अंतर जाना जा सकता है।

गांव की कुल पानी की आवश्यकता (लीटर)	गांव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)	गांव की कुल जल की वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में कुल जल उपलब्धता में अंतर (लीटर)
1	2	3 = (1-2)
92,28,51,000	38,33,75,760	53,94,75,240

गांव के वार्षिक जल की कुल आवश्यकता (92,28,51,000) - में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा (38,33,75,760) = 53,94,75,240

वंशीपुर ग्राम को वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 53 करोड़ 94 लाख 75 हजार लीटर अतिरिक्त जल की आवश्यकता है।

प्रतिभागियों को केस स्टडी में वंशीपुर गांव के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, गांव में जल सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए क्या-क्या गतिविधियां की जा सकती हैं समूह वार पुछे एवं जवाबों को चार्ट पेपर या बोर्ड पर लिखते जायें। सभी के जवाब आ जाने के बाद एक बार इस बात की जांच करें कि कोई गतिविधि छूट सी नहीं रही है। अगर कोई महत्वपूर्ण गतिविधि छूट रही हो तो उसे जोड़ें और गतिविधि वार चर्चा करें कि किस गतिविधि को किस योजना के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है।

नीचे दी गई योजनाएँ और उनके तहत किये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

क्र.	संभावित गतिविधियाँ	योजना का नाम
1	गांव में उपलब्ध क्षतिग्रस्त / निष्क्रिय जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत एवं गहरीकरण	मनरेगा / 15वाँ वित्त आयोग
2	नए जल स्रोतों का निर्माण (तालाब, कुआँ, डैम, इत्यादि)	मनरेगा / 15वाँ वित्त आयोग / प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
3	वर्षा जल संग्रहण के लिए संरचनाएँ	मनरेगा / 15वाँ वित्त आयोग
4	श्वेत तालाब / मृदु संधान	मनरेगा / कृषि विभाग की योजनाएँ (बलराम तालाब)
5	धोर रिचार्ज / रिचार्ज शाफ्ट	मनरेगा / 15वाँ वित्त आयोग / अटल भूजल योजना (सिमित जगहों पर)
6	शोक्ता गड्ढा निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन / मनरेगा / 15वाँ वित्त आयोग
7	कंदूर टैंक	मनरेगा
8	पौधा रोपण	मनरेगा / 15वाँ वित्त आयोग

सत्र समीक्षण

- इस बात पर जोर दें कि अच्छी जल सुरक्षा योजना बना लेने और गतिविधियों को चिन्हित कर लेने मात्र से बात नहीं चलेगी, इसके लिये जो भी गतिविधियाँ निकलकर आती हैं, उन्हें पंचायत के साथ बात कर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) में जुड़वाना होगा। क्योंकि जब तक जीपीडीपी में गतिविधियों को शामिल नहीं किया जायेगा, उनका क्रियान्वयन करना या पूरा करना संभव नहीं है।
- जो भी गतिविधियाँ निकल कर आती हैं, जरूरी नहीं है कि सभी गतिविधियों के लिये बाह्य फंड की आवश्यकता हो, कई गतिविधियाँ सामुदायिक धन दान, अंधादान और सहयोग से भी की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये किसी नाले पर बरसात के बाद बोरी संधान बनाना है ताकि लम्बे समय तक उसमें पानी उपलब्ध रहे। इस काम सासकर उन लोगों के सहयोग से जिन्हें इसका फायदा मिलने वाला है उनके धन दान के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है।

- सिर्फ़ नई संरचनाएँ बनाने से ग्राम में जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच का अंतर कम नहीं होगा। सभी ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध जल का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग भी बहुत आवश्यक है। प्रतिभागियों से पूछें जल की व्यर्थ बर्बादी रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं। प्रतिभागियों की जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करें और उनसे पूछें कि यह कैसे संभव होगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। सभी के जवाब आ जाने के बाद देख लें कि कहीं कोई गतिविधि छूट तो नहीं गई है, अगर छूट गई है तो उसे जोड़ें तथा गतिविधि वार चर्चा करें।

उपलब्ध पानी को जिम्मेदारी से उपयोग करने के तरीके



घरों में जल का उपयोग कर लेना के विनाश के उचित समय में पानी का उपयोग कर कर बचाना चाहिए एवं जल को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए।



घरों में जल पानी को उपयोग करें, जो पुराने में उपयोग अनुकूल रूप पानी करने वाले पानी का जवाब बचाना चाहिए।



घरों में जल का उपयोग शुरू करने का विचार करने के बाद में दुबारा उपयोग में लाना चाहिए।



पुराने में पानी के विनाश के लिए पुराने विनाश पड़ना चाहिए, विनाश, पुनर्निर्माण का उपयोग करना चाहिए। पुराने विनाश पड़ना के उपयोग के पुराने में पानी का जल में लाना करे - 10-15 जल की बचत होती है।
पूरे दिन विनाश विनाश के उपयोग में लाना ही सही है।



घरों में उपयोग के बाद पानी को जल नष्ट के उपयोग में विनाश का उपयोग में लाना चाहिए।




पुराने में पानी के विनाश के लिए पुराने के जल पानी का जल में लाना चाहिए।



पारंपरिक पानी के पानी के जल का जल पानी विनाश चाहिए एवं पानी विनाश का जल पानी को विनाश उपयोग में लाना चाहिए। जल के लिए पानी, पुनर्निर्माण।



पुराने में पानी के पानी के उपयोग में लाना विनाश में लाना।
उपयोग जल को जल जल है एवं जल में लाना पानी है।



दूसरा दिवस, सत्र-4 : नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र के उद्देश्य

- जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न संस्थाओं की पहचान और उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
- योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं पर समझ बनाना।

समयावधि : 3 घंटा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन, चपाती चित्रण हेतु विभिन्न साइज के गोलाकार कार्ड और सत्र से जुड़ा पीपीटी

सत्र संचालन की प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 2 उप सत्रों और समय में बांटा गया है -

पहला उप सत्र : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ।

दूसरा उप सत्र : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका।

उप सत्र - 1 : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ

सत्र संचालन

- प्रतिभागियों से प्रश्न करें - ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक वे कौन-कौन सी संस्थाएं संगठन हैं, जिनकी भागीदारी नए जल योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रतिभागियों द्वारा बताये गए संस्थाओं के नामों को चार्ट पेपर या बोर्ड पर दर्ज करते जायें।
- अब प्रतिभागियों को प्रशिक्षण स्थल के बीच गोल घेरे में बैठने या खड़ा होने के लिए कहें।
- प्रतिभागियों में से 6-7 प्रतिभागियों को गोल घेरे के बीच में बुलाए और उन्हें छोटे-बड़े विभिन्न आकार के अलग-आलग रंग के गोलाकार कार्ड प्रदान करें तथा बीचों बीच मार्कर या स्केच पेन की मदद से गोले की सीमा के लिए एक बड़ा गोल घेरा बनाने के लिए कहें।
- अब एक बड़े आकार के कार्ड पर जल जीवन मिशन दिखाकर बनाए गए गोल घेरे के केन्द्र में रखने के लिए कहें।

- प्रतिभागियों से पूछें कि जिन संस्थाओं को आपने चिन्हित किया है क्या सभी की भूमिका एक समान है या कम-ज्यादा? प्रतिभागियों के जवाबों को सुनें और बतायें कि जिस संस्था की भूमिका अधिक है उसकी चपाती बड़ी होगी अर्थात् बड़े कार्ड पर उसका नाम लिखा जायेगा, जिसकी भूमिका मध्यम या कम है उसका नाम उसी के अनुरूप मध्यम या छोटे आकार के कार्ड पर लिखा जायेगा। जिस संस्था की भूमिका और महत्व अधिक है उस संस्था के कार्ड को जल जीवन मिशन के कार्ड के उतने करीब रखने के लिए कहें। साथ ही इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहें कि क्या वह संस्था गांव के अंदर है या बाहर है, यदि गांव से बाहर है तो गांव की सीमा ठाले गांठे के बाहर उचित दूरी पर रखने के लिए कहें।
- जब प्रतिभागियों का एक समूह इस अभ्यास को पूरा कर ले तो अन्य प्रतिभागियों के समूह को आमंत्रित करें। यह समूह पूर्व समूह द्वारा किए गए चपाती चित्रण का अकलौकन करेगा। यदि इस समूह के सदस्यों को लगता है कि किसी संस्था के कार्ड को उसके महत्व और प्रभाव के अनुसार उचित स्थान पर नहीं रखा गया है तो आपसा में बर्बा कर उसका स्थान परिवर्तन करेगा। साथ ही यदि किसी संस्था का नाम ध्यान में आता है तो एक कार्ड पर उसका नाम लिखकर उचित स्थान पर रखेगा। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराने से प्रतिभागियों में चपाती चित्रण के माध्यम से नए जल योजना की संकल्पना में कौन सी संस्था का महत्व अधिक, कौन सी संस्था का महत्व मध्यम या कम है इस पर एक आम सहमति बन चुकी होगी। इसके अलावा पहुंच की दृष्टि से कौन सी संस्था गांव के भीतर है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और कौन सी संस्था महत्वपूर्ण तो है लेकिन वह गांव से बाहर है या दूर है इस बात पर भी समझ बन जायेगी।

चपाती चित्रण का एक उदाहरण



उप सत्र - 2 : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र संचालन प्रक्रिया

पूर्व उप सत्र में हमने जाना कि नए जल योजना की सफलता में कौन-कौन सी संस्थाएं प्रमुख हैं और किसकी कितनी भूमिका है। इस सत्र में हम इन संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में जानेंगे।

इसके लिये सभी प्रतिभागियों को 6 समूहों में बाँटे। चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण हेतु समूहों को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका

समूह-2 : ग्रामसभा/ समुदाय की भूमिका

समूह-3 : ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

समूह-4 : स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन की भूमिका

समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों की भूमिका

समूह-6 : पीपैचर्ड/डी/ठिकेदार की भूमिका

समूहों को विषय आवंटित करने के बाद चर्चा करने हेतु अलग-अलग स्थान पर बैठने के लिये उन्हें और समूह चर्चा के लिए समय तय कर अवगत करावें।

- समूह चर्चा के बीच समूहों के बीच बैठें एवं चर्चा को सुनकर आवश्यक मदद करें ताकि चर्चा सही दिशा में हो सके।
- बीच-बीच में समूहों को समय का ध्यान भी दिलाते रहें।
- चर्चा का समय पूरा होने के बाद समूहों को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित करें।
- एक समूह की प्रस्तुति के बाद अन्य प्रतिभागियों को प्रस्तुतकर्ता समूह से सवाल पूछने या जोक समाधान करने का अवसर दें। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ स्वयं विषय को स्पष्ट करें। इस प्रकार सभी समूहों का एक-एक बार प्रस्तुतीकरण करावें।
- सभी समूहों का प्रस्तुतीकरण पूरा होने के बाद **पीपीटी (दूसरा दिन सत्र-2 योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका)** के माध्यम से विभिन्न प्रतिभागियों की उन भूमिकाओं को स्पष्ट करें जो समूहों की प्रस्तुतीकरण में नहीं आ पाई हैं और सहत्वपूर्ण हैं।

सत्र समेकन

जल जीवन मिशन का केन्द्र समुदाय और विभिन्न संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी है। अनुभव बताते हैं कि समय के साथ कई योजनाएँ बंद हो गईं या जैसा सोचा गया था वैसी खरी नहीं उतर पाई। जिसके कारणों में स्थानीय समुदाय एवं संस्थाओं की अनदेखी प्रमुख रूप से सामने आई।

हर घर तक नल से पर्याप्त एवं गुणवत्तायुक्त जल की निर्धारित सप्लाई हो इसके लिये गांव की वास्तविक जरूरत के मुताबिक योजना बने इसमें स्थानीय समुदाय एवं ग्राम पंचायत की बड़ी भूमिका है। ग्राम पंचायत की पीरचर्ड्री के तकनीकी अमल से संपर्क बनाना होगा ताकि बनाई गई योजना के तकनीकी मापदंड पूरे हो सकें। जिते से भी संपर्क बनाना होगा ताकि योजना की स्वीकृति एवं राशि समय पर मिल सके। योजना बनने के बाद गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना का निर्माण हो इसके लिये पंचायत, समिति के साथ-साथ समुदाय द्वारा लगातार निगरानी की आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब योजना के शुरूआती चरणों में समुदाय को साथ लिया जाये।

योजना की कुल लागत राशि का 10 फीसदी या 5 फीसदी भागीदारी भी समुदाय को देनी है इसकी तैयारी स्थानीय लोग ही कर सकें इसके लिये उन्हें तैयार करने की जरूरत है। गांव की योजना के साथ वे इसे अपनी योजना मानें इसके लिये समुदाय को लगातार भागीदार बनाकर उन्हें केन्द्र में रखकर शामिल देना होगा।

योजना बनाने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में पंचायत के साथ क्रियान्वयन सहायता एजेंसी की बड़ी भूमिका है। एक बार योजना पूर्ण हो जाने के बाद उसके लगातार संचालन एवं समय-समय पर रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेवारी समुदाय एवं पंचायत को ही लेनी है। अतः इसकी तैयारी प्रारंभ से ही करनी होगी ताकि संचालन एवं रखरखाव के लिये आवश्यक राशि समय पर एकत्रित हो सके। गुणवत्तायुक्त जल सभी को मिले इसके लिये समय-समय पर जल की जांच के साथ धरेतु स्तर पर जल उपचार के साधनों एवं प्रक्रिया पर लोगों को जागरूक करना होगा। इसके लिये ग्राम पंचायत, समिति या जल निगरानी दल को जिम्मेवारी लेनी होगी।

संदर्भ सामग्री

जलापूर्ति योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव तथा निगरानी के काम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भूमिकाएँ निभाई जानी हैं। जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन

- ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभाओं को आयोजन कराकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा।

बैंक खाता खोलना

- ग्राम पंचायत द्वारा नेतृत्व कर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा भी बैंक खाता खोलने की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जलापूर्ति योजना निर्माण

- ग्राम पंचायत द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण के संबंध में आवश्यक जन जागरूकता कार्य किया जाएगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समुदाय के साथ मिलकर ग्राम की जरूरत के अनुसार जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा।

डिजाइन एवं तकनीकी अनुमोदन

- बनाई गई जलापूर्ति योजना को ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- अनुमोदित योजना अनुसार पीएचईडी द्वारा डिजाइन तैयार कर लागू निकाली जाएगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा योजना के इस्तेमाल की जिला समिति को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

सामुदायिक अंशदान का संग्रह

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम की जलापूर्ति योजना के अनुसार तय की गई कुल राशि का 5 फीसदी या 10 फीसदी राशि अंशदान के रूप में समुदाय से एकत्रित की जाएगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा भी सामुदायिक योगदान राशि के एकत्रीकरण में आवश्यक पहल की जाएगी।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संग्रह किये गये सामुदायिक अंशदान राशि को बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।

जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम की तैयार जलापूर्ति योजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जाएगा।
- जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन के काम में पीएचईडी द्वारा आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन किया जाएगा।

जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव

- जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के बाद योजना के नियमित संचालन की जिम्मेदारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की है।
- समिति द्वारा नियमित जल वितरण एवं देखरेख के लिये पंप ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी।
- ग्रामसभा में सभी परिवारों से मासिक फीस तय की जाएगी जिसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संग्रहित किया जाएगा।

- फीस संग्रह के समय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संबंधित परिवार को रसीद दी जाएगी।
- संग्रहित फीस समिति के बैंक खाते में जमा करायी जाएगी।

जलापूर्ति योजना की निगरानी

- जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना आवश्यक है ताकि मजबूत अधोसंरचना बने एवं तय किये गये मापदंडों के अनुसार काम किया जाये। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जाएगी।


जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी

- ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निश्चित रूप से गाँव के जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। जल गुणवत्ता परीक्षण का काम जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षित 5 महिलाओं के समूहों द्वारा किया जाएगा।





तृतीय दिवस



तृतीय दिवस, सत्र-2 : : किसकी निगरानी करें और कैसे करें ?

सत्र के उद्देश्य

- जल गुणवत्ता की निगरानी एवं उपचार पर समझ बनना।
- नल जल योजना के विभिन्न घटकों की निगरानी पर समझ विकसित करना।
- सामुदायिक योगदान /जनभागीदारी के मानदंड और संकलन पर समझ विकसित करना।

समयावधि : 2 घंटा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं सत्र से जुड़ा पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को दो उप-सत्रों और समयावधि में विन्यानुसार बांटा गया है -

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार - 30 मिनट

उप सत्र-2 : नल जल योजना की निगरानी और अथदान व कनेक्शन शुल्क की वसूली - 1 घंटा 45 मिनट

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें -

- साफ पानी का क्या मतलब है या हम कब कहेंगे कि हमारा पानी साफ है?
- पानी में किस-किस प्रकार की गंदगी हो सकती है?

प्रतिभागियों द्वारा दिये गये जवाबों को अलग-अलग सवाल के अनुसार अलग-अलग लिखें। महत्वपूर्ण जवाबों को दोहराएँ।

- पीपीटी (तीसरा दिन, सत्र-2: किसकी निगरानी करें और कैसे करें) के माध्यम से जल गुणवत्ता के विभिन्न विषयों को स्पष्ट करें।

सत्र समेकन

हम सब जानते हैं कि जल हम सबके लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी ने समझा कि पानी में कई प्रकार के

रासायनिक तत्व तय सीमा से ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं साथ ही जैविक विषाणु भी हो सकते हैं। जल की अशुद्धि के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे— डायरिया, पीलिया के साथ-साथ शरीर के कई हिस्सों में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये आवश्यक है कि हम जल की अशुद्धियों की जाँच करें और समझें कि यह हमारे पीने लायक है या नहीं। जो उपचार घर के स्तर पर हो सकते हैं उन्हें आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये। जहाँ जल प्रदूषण की स्थिति गम्भीर हो वहाँ पीपल्स विभाग से सम्पर्क कर जल शोधन प्लांट लगाकरा जाना चाहिये ताकि लोगों को पीने के लिये शुद्ध पानी मिले और वे जल जनित बीमारियों के प्रकोप से बचे रहें।

सत्र सभेदान

इस बात पर जोर दें कि शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिये हमें उन समस्याओं के लिये भी काम करना होगा जो हमारे जल स्रोतों को दूषित बनाने के लिये जिम्मेदार हैं। किन-किन जगह से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं इस पर चर्चा करें।

संदर्भ सामग्री

जल गुणवत्ता का मतलब क्या है

अच्छे स्वास्थ्य के लिये हमारे जल का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जल संबंधी अशुद्धियों से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और कई बार यह मृत्यु का कारण भी बनती है।

जल अशुद्धि के कारण

जैविक गंदगी	<ul style="list-style-type: none"> पीने के पानी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या इनके विषाक्त पदार्थ मिले होते हैं, ऐसे पानी के उपयोग पर पूरी तरह से रोक है।
रासायनिक गंदगी	<ul style="list-style-type: none"> जल में कई रसायन जैसे - क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट, कठोरता, क्षार, सल्फेट आदि ऐसे कई रसायन मिले होते हैं जिनकी मात्रा तय सीमा से अलग होने पर ऐसा जल काफी नुकसान देह होता है।
भौतिक	<ul style="list-style-type: none"> पानी में मिट्टी, रेत एवं अन्य खारीक कण मिले होते हैं।

हमारे पानी में कौन-कौन सी अशुद्धियाँ मिली हैं यह जानना जरूरी है। अशुद्धियों का भरा टगाने के लिये जल की जाँच आवश्यक है।

भौतिक परीक्षण	देखकर, सूँघकर एवं स्वाद लेकर हम रंग, गंध एवं स्वाद का परीक्षण कर सकते हैं।
फील्ड टेस्टिंग किट- रासायनिक परीक्षण	पीएचईडी द्वारा यह किट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इस किट से हम अपने गाँव में ही जल में रासायनिक अशुद्धियों की जाँच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह पानी हमारे उपयोग लायक है अथवा नहीं।
फील्ड टेस्टिंग किट- जैविक परीक्षण	पीएचईडी द्वारा दी गई H ₂ S बाटल के सहयोग से जल में जैविक अशुद्धियों की जाँच की जा सकती है।
प्रयोगशाला	पीएचईडी द्वारा जिले स्तर पर या इससे नीचे के स्तर पर स्थापित जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी जैविक अशुद्धियों की जाँच करायी जा सकती है। प्रयोगशाला में की गई जाँच से जल की सूक्ष्म अशुद्धियाँ भी स्पष्ट हो जाती हैं एवं जगदा विश्वसनीय होती हैं।

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिये कौन जिम्मेदार

- ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार मानसून पूर्व एवं मानसून के बाद जल परीक्षण करना अनिवार्य है।
- जिले द्वारा सभी 13 भापटंडों के लिए प्रति माह 250 जल खोतों का परीक्षण किया जाना है। सकारात्मक नमूने राज्य को भेजे जाएंगे।
- राज्य स्तर से सभी जिलों में 5% जल खोतों का परीक्षण किया जाएगा। रासायनिक अशुद्धियों के लिए वर्ष में एक बार और जैविक अशुद्धियों के लिए वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व एवं बाद में) परीक्षण जरूरी है।



जल परीक्षण रिपोर्ट किससे साझा करें

ग्रामसभा से - परीक्षणकर्ता समूह/दल द्वारा ग्राम के जल स्रोतों की परीक्षण रिपोर्ट को ग्रामसभा से साझा किया जाएगा। ताकि सभी ग्रामवासियों को जल स्रोत में जल गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी हो सके।

ग्राम पंचायत से - परीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत को दी जानी चाहिये ताकि वह रिपोर्ट पीएचईडी को भेज सके।

पीएचईडी - परीक्षण रिपोर्ट को पीएचईडी से साझा किया जाना चाहिये ताकि पीएचईडी पर दबाव बने एवं उसके द्वारा जल शोधन या उपचार के आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

घरेलू स्तर पर जल उपचार कैसे करें

छानना - बारीक छिद्र वाले साफ कपड़े से जल को छानकर उपयोग करना चाहिये। 85 एन.टी.यू. से अधिक मैलापन वाले सतही जल स्रोतों के लिए।

उबालना - उपयोग के पूर्व जल को कम से कम 1 मिनट के लिये उबालना चाहिये।

क्लोरीनीकरण

- 10 लीटर पानी में 500 ग्राम क्लोरीन पाउडर डालकर घोल बनायें।
- 1 लीटर पानी में 2 बूंद क्लोरीन घोल के हिसाब से पानी की अनुमानित मात्रा के अनुसार क्लोरीन घोल डालकर जल का उपचार करें।
- गंध से छुटकारा पाने के लिए पानी को थोड़ी देर के लिए खुला रखें।

क्लोरीन घोल कैसे बनायें

- सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और साफ कपड़े से हाथों को पोंछ लें।
- 20 लीटर पानी से भरे बर्तन में क्लोरीन की एक गोली डालकर उसको बंद कर दें या ढंककर रख दें।
- बर्तन में गोली डालने के बाद 30 मिनट तक बंद रखने के बाद पानी पीने के लिए तैयार हो जाएगा।

जल सुरक्षा के अन्य तरीके / सावधानियां

- पानी रखने वाले बर्तनों को प्रतिदिन अच्छी तरह साबुन से धोयें।
- उपचार किए गए पानी को जमीन से ऊपर चबूतरे (प्लेट फार्म) पर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सीधी धूप न पड़ती हो।
- पानी को छोटे बच्चों एवं पालतू जानवरों की पहुँच से दूर रखें।
- बर्तन से पानी निकालने के लिए ढंकी वाले लोटे का इस्तेमाल करें।
- ढंकी वाले लोटे को साफ जगह पर रखें और इसे साबुन से नियमित धोते रहें।
- पेयजल के बर्तन को हमेशा ढंककर रखें ताकि पानी में गंदगी न जा पाये।

उप सत्र-2 : नल जल योजना की निगरानी और अंशदान व कनेक्शन शुल्क की वसूली

सत्र संचालन

यह सत्र समूह अभ्यास के माध्यम से संचालित किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को 4 समूह में बाँटे। समूहों को समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण के लिये निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह -1 : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइप लाइन, सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -2 : सम्पवेल/ ओवरहेड टैंक से गाँव के विभिन्न मोहल्लों में बिछाई गई पाइप लाइन / काल आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -3 : घरों में नल कनेक्शन शुरुआत से लेकर गाँव के अंतिम छोर तक टबाब के साथ जल आपूर्ति, जल भण्डारण और अपशिष्ट जल के प्रबंधन में क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -4 : सामुदायिक अंशदान एवं नल कनेक्शन शुल्क की वसूली।

प्रत्येक समूह दिये गये विषय पर चर्चा कर निगरानी के मुद्दे और उनके लिए जिम्मेदार एवं जवाबदेह व्यक्तियों की पहचान कर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। यदि समूहों के प्रस्तुतिकरण में विषय से संबंधित निगरानी के कोई मुद्दे छूट गये हों तो आगे दी गई विषय वार तालिका का उपयोग कर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करें।

समूह-1 : ट्यूबवेल से राइजिंग मेन पाइपलाइन द्वारा सम्पवेल/ओवरहेड टैंक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1.	ट्यूबवेल के आसपास की माक-सफाई	पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
2.	जल स्रोत का स्थापित	वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत
3.	राइजिंग मेन पाइपलाइन में अवैध नल कनेक्शन	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्यूएससी, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
4.	राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेंज तथा गंदे पानी का प्रवेश	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
5.	समय-समय पर सम्पवेल और ओवरहेड टैंक की सफाई	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी

6	पम्प हाउस और अन्य उपकरण, सामग्री की निगरानी	पम्प ऑपरेटर या नियुक्त कर्मचारी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
7	ट्यूबवेल और सम्पवेल में पानी की गुणवत्ता	जल परीक्षण दल	वीडब्ल्यूएससी

समूह-2 : सम्प वेल/ओवरहेड टैंक से गांव के विभिन्न मोहल्लों में बिछापी गई पाइपलाइन/वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
2	नए जल योजना में/संगामी जाने वाली सभी सामग्री जैसे मोटर, पाइप, फेरुल आदि आईएसआई मार्क की है	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और समुदाय	पीएचईडी एवं ठेकेदार
2	सभी घरों में नल कनेक्शन और जल वितरण हेतु वाल्व फिटिंग	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी, समुदाय और हिलग्राही	पीएचईडी एवं ठेकेदार
3	टंकी की साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी, समुदाय और 5 महिलाओं का जांच दल	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और पीएचईडी
4	मोहल्ला वार नियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था	ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और पम्प ऑपरेटर
5	पाइपलाइन बिछाने हेतु नाली की उचित गहराई (3 फिट), चेम्बर का स्थान और निर्माण की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार
6	पाइपलाइन बिछाने के लिए खांदी गई रोड/सड़क की मरम्मत	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और समुदाय	ठेकेदार

समूह-3 : घरों में नल कनेक्शन, शुरुआत से लेकर गांव के अंतिम छोर तक ट्यूबवेल के साथ जल आपूर्ति और घरों में जल भण्डारण और उपयोग में क्या निगरानी की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	घरों में उचित स्थान पर और गुणवत्ता पूर्ण नल कनेक्शन	वीडब्ल्यूएससी, पम्प ऑपरेटर	ठेकेदार और पीएचईडी
2	मोहल्ला/टोला अनुसार वैक वाल्व	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत	ठेकेदार और पीएचईडी

3	नल कनेक्शन में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत, समुदाय	ठेकेदार और पीएचईडी
4	घरों में पानी की भण्डारण व्यवस्था	हितग्राही, वीडब्ल्यूएससी	वीडब्ल्यूएससी और जल गुणवत्ता परीक्षण दल
5	नल कनेक्शन में अवैध रूप से मोटर लगाना	वीडब्ल्यूएससी, पम्प ऑपरेटर, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
6	पानी के उपयोग पर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत, ग्राम सभा
7	व्यक्तिगत और सामुदायिक सोखता गडदों का निर्माण	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत, हितग्राही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
8	गन्दे पानी का किचिन गार्डन हेतु उपयोग	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत, हितग्राही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी

समूह-4 : जल वितरण व्यवस्था और सामुदायिक अंधादान तथा जल कर की व्यवस्था में क्या निगरानी की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1	बसाहटों के अनुसार वाल्व लगाना	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
2	ऊँचाई या टीले की बसाहटों में पहले नल देना	वीडब्ल्यूएससी	पम्प ऑपरेटर
3	एक वाल्व से लक्षित संख्या में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार और पीएचईडी
4	मोहल्ला वार जल आपूर्ति समय का निर्धारण	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	पम्प ऑपरेटर
5	सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन आदि में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
6	पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए हर नल कनेक्शन पर पानी का मोटर लगाना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	पम्प ऑपरेटर और तकनीशियन
7	सामुदायिक अंधादान, मासिक जल कर एकत्र करना और उसका रिकार्ड रखना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	वीडब्ल्यूएससी

8	रेट्रोफिटिंग के मामले में बीपीएल, बीपीएल श्रेणी के अनुसार अंशदान वसूली	ग्राम पंचायत, वीडियुएससी	वीडियुएससी
9	नल जल योजना की रीति के संधारण हेतु स्वतंत्र बैंक खाता खुलवाना	ग्राम पंचायत, वीडियुएससी	ग्राम पंचायत

नोट : समूह प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने या संका समाधान का अवसर अवश्य दें।

सत्र समीक्षण

इस बात के महत्त्व पर चर्चा करें कि नल जल योजना बिना रुकावट के लम्बे समय तक सुचारु रूप से चलती रहे इसके लिये निगरानी व्यवस्था का मजबूत होना और जल कर की नियमित वसूली बेहद जरूरी है। लोग समय पर जल कर दें इसके लिये नियमित घान्ती की आघूर्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।



तृतीय दिवस, सत्र-3 : सहभागी तरीके से नल जल योजना का संचालन एवं रखरखाव (O&M)

सत्र के उद्देश्य

- नल जल योजना में मासिक जलकर निर्धारण प्रक्रिया को समझना।
- जलकर इफेक्टिव करने हेतु नियम बनाना सीखना।
- संभावित खर्चों के भुगतान व्यवस्था को समझना।
- नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र की विषय वस्तु को दो उप सत्रों में बांट कर निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है -

- **उप सत्र-1 :** ग्राम सभा में जल कर का निर्धारण – 1 घंटा 15 मिनट (45 मिनट रोल प्ले और 30 मिनट डीब्रीफिंग के लिये)
- रोल प्ले के बाद चाय ब्रेक – 15 मिनट
- **उप सत्र-2 :** नल जल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका – 30 मिनट

उप सत्र-1 : ग्राम सभा में जल कर का निर्धारण

सत्र संचालन

इस सत्र का संचालन रोल प्ले के माध्यम से किया जायेगा। रोल प्ले के लिये प्रतिभागियों को अलग-अलग भूमिकाएँ दी जाएंगी और उन्हें उसी क्रम अनुसार ग्राम सभा में व्यवहार करना होगा।

रोल प्ले पर ब्रिफिंग :

रोल प्ले के किरदार : रोल प्ले कराने के लिये सभी प्रतिभागियों को कृपि अनुसार कि रदार देना, जिसमें सरपंच, सचिव, रीजगार सहायक, पंच, जल समिति सदस्य, पीएचईटी इंजीनियर, ग्राम सेवक, महिला समूह की सदस्य एवं ग्राम सभा सदस्य (पुवा, महिलाएँ और पुरुष)।

रोल प्ले संचालन विधि : प्रतिभागियों को किरदार के अनुसार चिह्नित कर उन्हें प्रशिक्षण हॉल के बाहर ले जाकर जो किरदार उन्हें निभाना है उसकी चिट प्रदान करें और समझाएं कि सभी को दिये गये किरदार की भूमिका के अनुसार अपनी बात रखना है। जो प्रतिभाग्यी रोल प्ले में शामिल नहीं हैं, उन्हें रोल प्ले को ध्यान से देखने के लिये कहे। रोल प्ले पूर्ण होने पर वे अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या निर्णय लिये गये, ग्राम सभा कि प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, निर्णयों में सभी की भागीदारी थी या नहीं, आदि।

ग्राम सभा में निम्न एजेंडे पर चर्चा की जायेगी -

1. नल जल योजना के लिये मासिक जल कने राशियों का निर्धारण करना।
2. नल जल योजना संचालन एवं प्रबंधन के लिये आवश्यक नियम बनाना।
3. निगरानी / संचालन व्यवस्था पर चर्चा करना।

ग्राम सभा की बैठक व्यवस्था : रोल प्ले के लिये सभी सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एक गोल घेरे में बैठेंगे। जिसमें ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव, पीएचईडी इन्जिनियर एवं ग्राम सेवक सामने बैठेंगे और ग्राम सभा सदस्य उनके सामने अंग्रेजी के 'यू' अक्षर के आकार में बैठेंगे।

रोल प्ले हेतु ही खाने वाली भूमिकाएं

खरपंच - उसके संघर्ष के कारण नल जल योजना में लोगों को उचित भागीदारी न होने के कारण निराश है। उनका मानना है कि नल योजना पीएचईडी विभाग की है, इसका इक पन कोई कारण नहीं है ना ही हम से पूछ कर कोई काम होता है, ज्यादातर काम संकेदार एवं विभाग अधिकारी से कर रहे हैं, योजना पूर्ण होने के बाद हम देखेंगे क्या करना है।

सचिव - ग्राम संघर्ष सचिव चाहते हैं कि उनके ग्राम में नल जल योजना का कार्य पूर्णतयापूर्ण तरीके से हो सके अधिक से योजना का संचालन सभों में हो सके।

पीएचईडी इंजीनियर - इनका मानना है कि हम तो बहुत अच्छा काम करते रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं करने दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नल योजना विधायी की धार कर मिलाना करके भीतरन करने हैं।

महिला समूह की सदस्य - महिला समूह की सदस्य चाहती है कि उनके ग्राम में अच्छा कार्य हो जिससे उनकी घर में बहुत पानी लाने का काम पड़े, वर्तमान में बहुत की प्रतिकार्य घर घर नल से पानी मिलाने पर खुश हैं।

राष्ट्रीय महिलाएं - ग्राम कि महिलाओं पर लगता है कि योजना में देना कार्य नहीं हुआ है किना उन चाहती थी उन्हें घर के अंदर कनेक्शन चाहिए। पर लेकिन अभी के घर में नहीं हो पाया और पानी भी पानी नल से नहीं मिल पा रहा है।

जल समिति सदस्य - समिति सदस्य चाहते हैं कि नल जल योजना का काम में अच्छा कार्य हो, लकिन उन्हें अधिक से काम करने में भीतरनी ना हो, और उनके ग्राम में हमेशा लोगों को पानी नल मिलाना रहे।

ग्राम सभा अध्यक्ष - ग्राम सभा सदस्यों को लगता है कि हमारे घर में पानी पर विधायी कार्य मिलाना सब ही सब नल भागीदारी एवं जल कर जमा करने, नल जल योजना के विधायी कार्य में राष्ट्रीय स्तर पूर्णतया में संतुष्ट नहीं हैं।

- **ग्राम सभा का आयोजन** - ग्राम सभा अध्यक्ष के कहने पर प्रबंधक सचिव द्वारा एजेंडा पढ़कर मुनाषा जायेगा।
- **जल समिति द्वारा तैयार जल कर राशि का ड्राफ्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना** - ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम सतपिपलिया की जल कर राशी के निर्धारण का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसे ग्राम सभा की बैठक में चर्चा के लिये रखा जायेगा, जिस पर ग्राम सभा सदस्य चर्चा कर प्रस्ताव पास करेंगे।
- **सतपिपलिया ग्राम की सामान्य जानकारी** : ग्राम सतपिपलिया (जिला - सीहोर) जिले से 15 किलोमीटर कि दूरी पर स्थित है, ग्राम में कुल 1845 जनसंख्या है एवं 344 परिवार हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग 261, मुस्लिम 45, अनुसूचित जन जाति 4, अनुसूचित जाती 31, सामान्य वर्ग 3 परिवार निवास करते हैं।

घरों विवरण			
क्र .	घरों मद्द	मासिक खर्च	वार्षिक खर्च
1	ब्रांड-मैल का मासिक नामदेव	7,500/-	90,000/-
2	मासिक बिजली गिरा	18,000/-	2,16,000/-
3	सौंहर रिपेरिंग, टूट-फूट खर्च	5,000/-	60,000/-
4	जल गुणवत्ता सम्बंधित खर्च	1,000/-	12,000/-
	सब जल योजना पर कुल मासिक/वार्षिक खर्च	31,500/-	3,78,000/-
खर्च के अनुसार जल कर का निर्धारण			
क्र .	स्रोत	मासिक जल कर	वार्षिक जल कर
1	कुल मासिक खर्च - गांव में कुल सल कनेक्शन = प्रति परिवार अनुमानित मासिक जल कर	31500/- 344 = 91.50/-	91.50 x 12 = 1098/-
	जल कर का निर्धारण करते समय हम बात का ध्यान रखें कि गांव में शरीर परिवारी की जल कर में छूट/रियाजत देने एवं कुछ परिवारों के समय पर जल कर न दे पाने के कारण योजना के संभारन में परेशानी हो सकती है, इसलिए गावना से निकली राशि में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि-प्रजाकर जल कर तय करना चाहिए।	100/- प्रति परिवार	1200/- प्रति परिवार
	इसमें से गाव के रूप में जल सेवा राशि = (कुल खर्च - कुल खर्च)	2,500/-	30,000/-

ग्राम सभा बैठक के अपेक्षित परिणाम

- ग्राम सभा बैठक में प्रक्रियाओं का पालन किया गया – जिसमें कोरम पूर्ण, एजेंडा वाक्य, अध्यक्ष का जपन, एजेंडा बार चर्चा एवं सर्व सहमती से निर्णय लेना और लिये गये निर्णय को बैठक पूर्ण होने के बाद पढ़कर सुनाना एवं इसके उपरांत सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।
- मासिक जल कर राशी के निर्धारण में सभी की सहमति होना।
- योजना संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।
- नल जल योजना को सुचारु चलाने के लिये निगरानी व्यवस्था निर्माण करना एवं समय और जिम्मेदारी देना।

रोल प्ले का समीक्षण

रोल प्ले पूर्ण होने पर प्रतिभागियों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें -

- क्या आप ग्राम सभा में लिये गये निर्णय से सहमत हैं ?
- क्या ग्राम सभा में सारे एजेंडों पर निर्णय लिये गये ?
- क्या ग्राम सभा में लिये गये निर्णय अनुचित थे और क्या कोई मुद्दा निर्णय से छूट गया ?
- क्या ग्राम सभा संचालन में कोई प्रक्रिया छूट गयी?
- कौन से निर्णय आपको बहुत अच्छे लगे ?

उपरोक्त सभी बिंदुओं पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा कर रोल-प्ले का सार निकालना और प्रयास करना कि प्रतिभागी मासिक जलकर निर्धारण योजना संचालन के लिए नियम बनाना और योजना की निगरानी व्यवस्था को समझ पायें।

उप सत्र-2 : नल जल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका

सत्र संचालन

प्रतिभागियों से पूछें कि आपके हिसाब से नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिये। प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करते जायें और उन्हें इस संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा सोचने और प्रतिक्रियाएं देने के लिये प्रेरित करें। इसके उपरांत सत्र संबंधी **पीपीटी (तीसरा दिन, सत्र-3, नल जल योजना में ग्राम सभा और पंचायत की सहभागिता)** का उपयोग कर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका से प्रतिभागियों को अवगत करायें।

नल जल योजना में ग्राम सभा एवं पंचायत की भूमिका

क्र.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा एवं पंचायत की प्रमुख भूमिकाएं
1	ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति निर्माण।
2	ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक खाता खुलवाना।
3	ग्राम कार्य योजना/ वीएपी निर्माण।
4	ग्राम के पेयजल स्रोतों की नियमित जल गुणवत्ता जाँच कराना एवं आवश्यक कार्यवाही करनी।
5	पीएचईडी द्वारा निर्मित डीपीआर को वीएपी के साथ संपीकृत कराना।
6	जल सुरक्षा योजना (WSP) का निर्माण।
7	जनभागीदारी राशि/कनेक्शन शुल्क एकत्रित करना।
8	नल जल योजना निर्माण के दौरान मॉनीटरिंग/निगरानी करना एवं आवश्यकता अनुसार जिला जल स्वच्छता प्रबंधन समिति/ पीएचईडी को फीडबैक देना।
9	निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नल जल योजना का हेड-ओवर लेना।
10	नल जल योजना संचालन के लिये निपमावली बनाना।
11	रख-रखाव (O&M) कार्य करना, नियमित जल कर लेना एवं रिपेयर/मैटेनंस कार्य करवाना।
12	नल जल योजना का वार्षिक सामाजिक-अंकेक्षण कराना एवं समस्या निवारण की व्यवस्था बनाना।

- ❖ **ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का निर्माण** : जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा के अध्यक्ष से पंचायत के अंतर्गत सभी ग्रामों में अपनी-अपनी ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का निर्माण करना है। (जिस ग्राम कि जनसंख्या 250 से कम होगी उक्त ग्राम में पास के ग्राम के साथ संयुक्त समिति बनाई जायेगी)

- ❖ **ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक खाता खुलवाना :** ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का किसी राष्ट्रीय बैंक में समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से संयुक्त खाता खोला जाएगा, उक्त खाते से समिति के भारे कार्यों के लिये भुगतान होगा।
- ❖ **ग्राम कार्य योजना (VAP) निर्माण :** जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के निर्माण कार्य के पहले ग्राम कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा, उक्त योजना में टंकी का स्थान, बीर, पाइप लाइन, नल कनेक्शन संख्या आदि कि जानकारी सहभागी नियोजन के माध्यम से एकत्र की जायेगी एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी को भेजा जायेगा।
- ❖ **ग्राम के पेयजल स्रोतों की नियमित जल गुणवत्ता जाँच कराना एवं आवश्यक कार्यवाही करना :** जल गुणवत्ता जाँच कराने के लिये उक्त ग्राम की 5 महिलाओं का चयन कर पीएचईडी के द्वारा प्रशिक्षण एवं फोल्ड टेस्टिंग किट (FTK) दी जायेगी। प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम के कम से कम 5 सामुदायिक जल स्रोतों की जाँच की जायेगी। जाँच के परिणाम पीएचईडी एवं ग्राम सभा को उचित कार्यवाही हेतु भेजे जायेंगे।
- ❖ **पीएचईडी द्वारा निर्मित डीपीआर को बीएपी के साथ स्वीकृत कराना :** ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पीएचईडी के माध्यम से ग्राम कार्य योजना और डीपीआर तैयार की जायेगी, जिसे ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी को आगामी कार्यवाही के लिये प्रेषित किया जायेगा।
- ❖ **जल सुरक्षा योजना (WSP) का निर्माण :** जल जीवन मिशन अंतर्गत अधिकांश नल जल योजनाएं भूजल आधारित बनाई जा रही हैं, इसलिए भूजल का स्तर बढ़ाने के लिये जल सुरक्षा योजना बनाकर कार्य करना आवश्यक हो गया है। जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायत में चलने वाली योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स किया जायेगा।
- ❖ **जनभागीदारी राशी/कनेक्शन शुल्क इक्कठा करना :** OMR फाइनल होने के बाद नल जल योजना की लागत राशी स्पष्ट हो जायेगी जिसके आधार पर जनभागीदारी राशी या कनेक्शन राशी समिति द्वारा इक्कठा की जा सकती है।
- ❖ **नल जल योजना निर्माण के दौरान मॉनीटरिंग/निगरानी करना एवं आवश्यकता अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी को फीडबैक देना :** ग्राम में नल जल योजना निर्माण के दौरान ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पंचायत कि यह जिम्मेदारी होगी कि यह निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से करते रहें एवं किसी प्रकार की कमी होने पर या सुधार की आवश्यकता होने पर जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईडी के साथ सवाद करे या फीडबैक दे।

- ❖ **नल जल योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद हैंड ओवर लेना :** पंचायत द्वारा नल जल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद पीएचडीसी/ठेकेदार से हैंडओवर लिया जाएगा, हैंड ओवर लेने से पूर्व सभी निर्माण कार्य कि गुणवत्ता एवं पूर्णता स्थिति का आकलन कर हैंड ओवर लेना चाहिए।
- ❖ **नल जल योजना संचालन के लिये नियमावली बनाना :** नल जल योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नियमावली बनाना और ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद उसे लागू करना।
- ❖ **रख-रखाव (O&M) कार्य करना, नियमित जल कर लेना एवं रिपेयर/मैटेनस कार्य करवाना :** योजना संचालन एवं प्रबंधन में रख -रखाव (O&M) कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, समिति द्वारा योजना के संचालन हेतु नियमित रूप से मासिक जलकर लेना चाहिए एवं किसी भी प्रकार कि टूट-कूट एवं मैटेनस के कार्य को समय पर पूर्ण कराना चाहिए जिससे ग्रामीणों का योजना पर भरोसा बना रहे।
- ❖ **नल जल योजना का वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण करना एवं समस्या निवारण व्यवस्था :** नल जल योजना का प्रति वर्ष कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराना चाहिये, जो लोग इस योजना में सहभागी हैं उन्हें योजना के आय-व्यय का हिसाब मिलना चाहिए साथ ही समस्या निवारण हेतु समिति द्वारा पंचायत या चौपाल पर समस्या रजिस्टर/ पेटी या कोई मोबाइल नंबर जिस पर ग्राम का कोई भी व्यक्ति नल जल योजना सम्बंधित समस्या रजिस्टर कर सके एवं एक समय सीमा में उक्त समस्या का निराकरण होना चाहिए।



तृतीय दिवस, सत्र-4 : सहभागी प्रशिक्षण, वयस्कों के सीखने के सिद्धांत और प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण क्या है? और सहभागी प्रशिक्षण की विधियों पर समझ बनाना।
- वयस्कों के सीखने के सिद्धांत – वयस्क कब और कैसे सीखते हैं अंगत करना।
- प्रशिक्षण की रूपरेखा कैसे बनाये इस पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्बल पेन

सत्र संघटन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें –

- सहभागी प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण को सहभागी बनाने के लिये क्या तरीके अपनाये जा सकते हैं?
- क्या बच्चों और बड़ों के सीखने की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है ?

प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें, और सही जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

सहभागी प्रशिक्षण

- सहभागी प्रशिक्षण अनुभव आधारित प्रक्रिया है।
- यह दो तरफा प्रक्रिया है।
- यह ज्ञान से अधिक व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित है।

विकास सन्दर्भ में जब भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो मुद्दा सिर्फ ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति का दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सामाजिक अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात सहभागी प्रशिक्षण जिसमें पिछड़े वर्ग की विकास में सहभागिता केंद्र में होती है, प्रशिक्षक एक सहजकर्ता की भूमिका निभाता है जिसमें वह सीख और सीख की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का लिये एक आवश्यक और सुरक्षित माहौल का निर्माण करता है।

अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि बहुत एक सहभागी कहलाने वाली पद्धतियाँ जैसे रोल प्ले, छोटे समूह में चर्चा इत्यादि करा लेने से प्रशिक्षण सहभागी हो जाता है। वास्तव में यह पद्धतियाँ नहीं अपितु पद्धतियों के सही इस्तेमाल और वातावरण के सही निर्माण से कोई भी शिक्षण, सहभागी प्रशिक्षण कह दर्जा पाता है।



परम्परागत प्रशिक्षण व सहभागी प्रशिक्षण में अंतर

आमतौर पर होने वाले प्रशिक्षण	सहभागी प्रशिक्षण
<ul style="list-style-type: none"> • प्रशिक्षण केन्द्रित • नियंत्रण प्रशिक्षण के हाथ में • मुख्य फोकस ज्ञानवृद्धि व तकनीकी जानकारी देने पर • फोकस परफार्मेंस सुधारने पर • दक्षता व जानकारी आधारित पद्धतियों का उपयोग • पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पर जोर 	<ul style="list-style-type: none"> • सहभागी केन्द्रित • सीखने वाले नियंत्रण करते हैं • सीखना जानकारी/जागरूकता व दक्षता के स्तर पर • व्यवहार में बदलाव पर केन्द्रित • अनुभव आधारित सीखने की पद्धतियों का उपयोग • प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धांतों व सीखने के माहौल बनाने पर जोर

प्रौढ़ कब और कैसे सीखते हैं ?

सहभागी प्रशिक्षण के संदर्भ में यह अधार मानकर चलना चाहिये की प्रौढ़ सीख सकते हैं वह बदल सकते हैं और उनका विकास संभव है। यह सच है की यह कठिन है खासकर यदि हम इसकी तुलना बच्चों से करें। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रौढ़ों के पास उम्र के साथ दर्ज किया बहुत अनुभव है, अपना दृष्टिकोण है और सम्मान को देखने की नजर है। अर्थात वह तभी सीखेंगे जब उनके अनुभव, उनके दृष्टिकोण का आदर किया जाये और सीखने की प्रक्रिया में उनकी सम्मान दिया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सीख का केंद्र बिंदु उनकी आवश्यकताओं और रुचि से जुड़ा हो।

प्रौढ़ के सीखने के सिद्धांत

- प्रौढ़ों के सीखने के लिए जरूरी है एक सुरक्षित एवं सम्पन्न सहायक व चुनौतीपूर्ण माहौल का निर्माण।
- प्रौढ़ों सीख के चक्र में तभी जाते हैं जब वह उनकी समस्याओं उनके सपनों के आधार पर सीखने के लिये प्रोत्साहित हों। अधिकतर वह -आज और अभी- मिलने वाले परिणामों पर सीख को केन्द्रित कर सकते हैं।
- प्रौढ़ों के अपने और समाज के विभिन्न इकाईयों के बारे में कुछ सोच होती है जो कि उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर बनी होती है। इस सोच और अनुभव को मान्यता देना बहुत आवश्यक है। इनको नकारने से कभी भी नयी सीख नहीं बनायी जा सकती। अनुभवों के नये विश्लेषण से सहजकर्ता नये दृष्टिकोण का निर्माण आसप आस कर सकता है।
- दक्षता आधारित प्रशिक्षण अधिक सहभागी परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऐसे में प्रौढ़ों को नयी सीख पर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है।
- फीडबैक - अभ्यास की प्रक्रिया में एक सहयोगी -फीडबैक- का माहौल बनाना बहुत आवश्यक होता है। फीडबैक के माध्यम से सीख में सुधार लाया जाता है।
- अभ्यास में सफल होने पर प्रौढ़ प्रोत्साहित होते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं।
- प्रौढ़ों के सीखने के अलग-अलग तरीके होते हैं इसलिये कोई एक पद्धति व तकनीक सभी के लिये बराबरी से लाभकारी नहीं होती। इस प्रकार बहुत सारी सीखने की पद्धतियों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है।
- सिखाने की प्रक्रिया में बहुत गहरे भावनाओं का उद्भव होता है। इन भावनाओं की तरिके से समझना व निपटाना बहुत आवश्यक होता है अर्थात् प्रौढ़ इन भावनाओं में उतार जाते हैं और उनका सीखना प्रभावित होता है।

डी-डीफिंग तथा संक्षेपीकरण

मुख्यतः अनुभव आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों के उपरोक्त डी-डीफिंग बहुत आवश्यक होती है।

डी-डीफिंग चक्र के मुख्य चरण हैं -

- अनुभव करना।
- अनुभव के आधार पर अभ्यास करना।
- किये गये अभ्यास को सभी प्रतिभागियों के साथ बांटना एवं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना।
- अभ्यास का विश्लेषण करना अर्थात् ऐसे प्रश्न उठाना: क्या ऐसा होता है? आप कैसा महसूस कर रहे थे? तथा ऐसा क्यों होता है? इत्यादि।
- अनुभवों और अभ्यास के विश्लेषण के आधार पर एक टाकाबंद सीख और सिद्धांतों का निर्माण करना।
- सीख के आधार पर नये प्रयोग करना, और फिर से अनुभव कर उस चक्र में जाना।



सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये अर्थात् प्रशिक्षण के आधार पर ज्ञान व परिवर्तित व्यवहार के निर्माण के लिये सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह सीखने वालों की क्षमता खासतौर से विश्लेषण क्षमता और नयी सीख के लिये तैयारी बनाने की एक चुनौतीपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वह एक समय में अनेक भूमिकाओं को निभाता है और प्रशिक्षणार्थियों को हमेशा सीख के लिये उत्साह करता है। प्रशिक्षण की मुख्य जवाबदारियां निम्न हैं -

1. प्रशिक्षण नियोजक व डिजाइनर की भूमिका
2. प्रशिक्षण प्रबंधक की भूमिका
3. सहजकर्ता की भूमिका
4. शिक्षक व नयी जानकारी प्रदर्शित करने की भूमिका
5. मित्र की भूमिका
6. स्वयं को एक प्रशिक्षार्थी के रूप में देखने की भूमिका

प्रशिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और प्रशिक्षक इस जटिल प्रक्रिया को संचालित करता है। इसके लिये वह स्थितियों का विश्लेषण करता है ताकि ज्ञान को प्रत्यक्ष होने के वातावरण का निर्माण करता है। प्रशिक्षणार्थियों की क्षमताओं को विकसित करता है यह क्षमताएँ उसकी ज्ञान, जागरूकता और दक्षता के आधार पर बांटी जा सकती हैं। प्रशिक्षक की भूमिका प्रशिक्षण के पहले से ही शुरू हो जाती है व प्रशिक्षण समाप्ति के बाद तक चलती है।

प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने के अभ्यास हेतु गृह कार्य

प्रशिक्षण के चौथे और अंतिम दिन प्रतिभागियों को प्रशिक्षक के रूप में सब आयोजित करने का अभ्यास कराया जायेगा। इसके लिये तीसरे दिन के अंतिम सत्र के बाद प्रतिभागियों को 4 समूहों में बाँटे और प्रत्येक समूह को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह - 1 : वीएपी निर्माण पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना।

समूह 2: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों को उनकी भूमिकाओं/विम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना।

समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।


समूह 4: नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर पंप ऑपरेटरों/सर्व सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।

प्रत्येक समूह इसे गृह कार्य के रूप में स्वीकार्य करेगा और दिये गए विषयों पर 45-45 मिनट के प्रशिक्षण सत्र की डिजाइन एवं विषय वस्तु तैयार करेगा। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में प्रशिक्षक समूहों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।





चतुर्थ दिवस



चतुर्थ दिवस, सत्र-2 : प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

सत्र के उद्देश्य

- प्रशिक्षण कौशल विकसित करना।
- प्रशिक्षण सत्रों को प्रभावी बनाने के तरीकों पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटे

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, अन्य सामग्री जो प्रतिभागी जरूरी समझे।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र का संचालन एक दिन पहले बनाये गये समूह-1 और समूह-2 द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक समूह को प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये 45 मिनट का समय और 15 मिनट फीडबैक के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। अर्थात् एक समूह को कुल 1 घंटे का समय दिया जायेगा।

प्रत्येक समूह प्रशिक्षण सत्र के आयोजन में निम्न बातों का ध्यान रखेगा –

- समयावधि में सत्र को पूरा करना
- समूह के सभी प्रतिभागियों को अवसर देना
- प्रशिक्षण सत्रों को रोचक बनाने के लिये गतिविधियां शामिल करना
- अन्य समूहों के प्रतिभागियों के द्वारा दिये गये फीडबैकों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना।
- प्रशिक्षक के रूप में इस बात का ध्यान रखना कि सभी प्रतिभागी उनकी बात सुन और समझ रहे हैं।

प्रत्येक समूह द्वारा प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर अन्य प्रतिभागी और प्रशिक्षक अपना फीडबैक देंगे और समूह की अच्छी बातों, प्रयासों की सराहना करेंगे तथा जो कमी हों उसे दूर करने के लिये आवश्यक सुझाव देंगे।

चतुर्थ दिवस, सत्र-3 : प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

इस सत्र के संचालन का तरीका उपरोक्त सत्र के समान रहेगी। इसमें समूह-3 और समूह-4 के प्रतिभागी प्रशिक्षक के रूप में सत्र का आयोजन करेंगे। सत्र की अन्य प्रक्रिया उपरोक्त सत्र के समान रहेगी।

चतुर्थ दिवस, सत्र-4 : प्रशिक्षक की भूमिकाएं व कौशल तथा प्रशिक्षण सत्रों के सहज बनाने के सिद्धांत

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की भूमिका और कौशल से अवगत कराना।
- प्रशिक्षण को सहज बनाने के तरीकों से अवगत कराना।

समयावधि : 1 घंटा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें -

- एक अच्छे प्रशिक्षक के क्या गुण होते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है?

प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें और सही जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षक की भूमिकाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है-

1. प्रशिक्षण से पहले : प्रशिक्षण प्रबंधन संबंधी
2. प्रशिक्षण के दौरान : सहजकर्ता, शिक्षक, मित्र आदि
3. प्रशिक्षण के बाद : प्रबंधन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग इत्यादि

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण डिजाइनर और नियोजक	प्रबंधक
<ul style="list-style-type: none"> • सीख के बिन्दुओं को प्रेषित करना और उसके आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना। • प्रशिक्षण हेतु योजना की रणनीति बनाना। • प्रशिक्षण की विषय वस्तु तैयार करना तथा उनको एक नियोजित तरीके से क्रमबद्ध करना और उपयुक्त विधि का चयन करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रशिक्षण की जिम्मेदारियों का बंटवारा • वित्तीय प्रबंधन • दिवस और स्थान का चयन इसके साथ और किसी प्रकार के भौतिक संसाधनों की तैयारी। • चयनित स्थान पर सुविधाओं का अवलोकन करना। • सभी सुविधाओं का परस्पर संबंध स्थापित करना।

<ul style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति का चयन करना। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण के बाद भी संपर्क स्थापित रखना तथा उनको रिपोर्ट आदि भेजना। आपात स्थिति जैसे बीमारी, दुर्घटना से निपटना।
सहजकर्ता	शिक्षक
<ul style="list-style-type: none"> समूह प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना व उन पर नियंत्रण रखना। समूह व समूह के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित और प्रेरित करना। सीखने के वातावरण का निर्माण करना। समूह में चर्चाओं को आरंभ करना व केन्द्रित करना। प्रशिक्षार्थियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना जिससे वे अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकें। 	<ul style="list-style-type: none"> नयी जानकारियाँ तथा तथ्यों को समझाना। जानकारी व अनुभवों के आधार पर नया आधार बनाना। सोच की प्रक्रिया को टाँचाबद्ध तरीकों से बांधना। विभिन्न पद्धतियाँ जैसे रोल प्ले, चर्चा, सिमुलेशन, इत्यादि को सम्पादित करना। प्रशिक्षण के नये संसाधनों जैसे वीडियो कैमरा टेप, फ्लैश कार्ड इत्यादि को सही तरीके से इस्तेमाल करना।
सहभागी	प्रशिक्षार्थी
<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षार्थियों से बराबर संपर्क में रहना। उनके विचारों, कठनाईयों, सुझावों एवं निराशाओं में उनकी मदद करना। अपने अनुभवों को उनमें बाँटना। मिश्रतापूर्ण व्यवहार से वातावरण को सहज बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> समूह के अनुभव के आधार पर स्वयं के सीखने की तैयारी रखना। दूसरों के दृष्टिकोण और सोच को समझना। दूसरों के अनुभव से सीखना। समूह के द्वारा बनाये गये सीखने के टाँचे को पढ़ना।

प्रशिक्षकों में कीमत

1. प्रशिक्षकों में ट्रिपल AAA गुण होने चाहिए :

- A - आवाज (अच्छी-जराज के साथ स्पष्ट और प्रभावी संचार)
- A - अंदाज़ (अच्छी प्रस्तुतिकरण शैली और शारीरिक हाव-भाव/बॉडी लैंग्वेज)
- A - आगाज़ (सत्र की बढियाँ और प्रभावी शुरुआत)

2. किसी भी विषय पर प्रशिक्षण देने से पहले प्रशिक्षकों के पास तीन बुनियादी क्षमताएँ होनी चाहिए - केवीसी (KVC)

• K - (जिस विषय पर प्रशिक्षण देना है उसका ज्ञान)

• V - (मूल्य)

- नैतिक मूल्य: व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्यों को परिभाषित करता है।
- ईमानदार

- संकारात्मक दृष्टिकोण
- अच्छा खोला
- अनुशासित और केन्द्रित (फोकस्ड)
- प्रभावी समय प्रबंधक
- नियमबद्ध
- आपत्तियों/प्रतिक्रियाओं का समाधान करना जानता हो
- प्रभावी संवाद: मौखिक और लिखित
- सजबूत इरादा
- बदलने/अपघोष करने की इच्छा शक्ति
- फालीअप में प्रभावी
- प्रतिबद्धताओं और ठितिलारेवल्स का सम्मान

☞ **C - (संचार कौशल - संचार सभी किसी भी प्रशिक्षण का बुनियादी मूल्य है। इसमें बोली जाने वाली, लिखकर बतायी जाने वाली, सक्रिय रूप से सुनने और समझने की संचार कौशल शामिल है। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब उस व्यक्ति पर ध्यान देना, जो आपसे बात कर रहा है।)**

- अपनी संचार शैली को प्रतिभागियों के अनुकूल बनाना।
- मित्रता/दोस्ताना
- आत्मविश्वास
- फीडबैक देना और प्राप्त करना।
- संचार की भाषा और स्पष्टता
- सहानुभूति
- आदर/सम्मान

केवीसी - प्रशिक्षकों में संतुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि प्रशिक्षक के पास K , V , C में से कोई भी अधिक या कम है तो वह प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं होगा।

कैसीलिटेशन या सहजीकरण क्या है ?

सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक ज्ञान/कौशल को प्रतिभागियों के ऊपर थोपता नहीं है बल्कि उनके अनुभवसिद्ध ज्ञान को मान्यता देते हुए उन्हें सीखने की प्रक्रिया से जोड़ता है और उनके अनुभवों से नये ज्ञान का सृजन करता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षक की भूमिका मात्र कैसीलिटटर (सहजकर्ता) की होती है। यदि हम कैसीलिटेशन को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो - यह कार्य जिसमें बगैर किसी खास कि कार्य की आसन्न बनसक सके कैसीलिटेशन कहलाता है।

फैसीलिटेयन दो स्तरों पर होता है :

- व्यक्ति के स्तर पर
- समूह के स्तर पर

फैसीलिटेयन हेतु ध्यान में रखने वाली बातें :

फैसीलिटेयन के लिये यह आवश्यक है कि उसे समूह की प्रक्रियाओं तथा प्रतिभागियों की परफॉरमेंस में आ रही बाधाओं/कठिनाईयों की जानकारी हो। इसके लिये निम्नांकित प्रयास किये जा सकते हैं-

• व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत करें -

- व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत के दौरान भयमुक्त वातावरण का निर्माण करें तथा बात-चीत में खुलापन हो, पद असमानता या प्रतिभागियों के बीच अन्य असमानता को बाधा न बनने दें।
- कठिनाईयों पर सीधे बात-चीत न करें एवं प्रशांसात्मक तहजे में बात-चीत करें नहीं तो व्यक्ति डिफेंसिव (बचाव) हो जायेगा और अपनी कठिनाईयों को छुपाने का प्रयास करेगा।
- फीडबैक के अवलोकन/उदहारण का संदर्भ बात-चीत के दौरान दें।
- खुले प्रश्न पूछें।
- अपनी कठिनाईयों को बताने हेतु प्रतिभागी को प्रोत्साहित करें।

3. दृष्टिकोण और प्रशिक्षण के तरीके

प्रशिक्षक को प्रतिभागियों के ज्ञान स्तर, कौशल और दृष्टिकोण के अनुसार प्रशिक्षण के तरीकों को अपनाया चाहिए। उदहारण के लिये -

1. यदि प्रतिभागियों को विषय का ज्ञान ना हो या कम ज्ञान है तो व्याख्यान दृष्टिकोण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
 - व्याख्यान पद्धति का उपयोग नई जानकारी एवं अवधारणाएं प्रतिभागियों को देते समय करते हैं।
 - इस पद्धति द्वारा बहुत सारी विषय-वस्तु कम समय में बतायी जा सकती है।
 - बाहरी रिसोर्स पर्सन द्वारा कुछ विशिष्ट विषयों पर समझ बनाने के लिए।
2. यदि प्रतिभागियों को विषय का ज्ञान है तो समूह चर्चा दृष्टिकोण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
 - जब विषय वस्तु पर सहभागियों के पूर्व के अनुभव हों।
 - चर्चा में वे अपने अनुभव, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति के आधार पर नये ज्ञान का संकलन करती हैं।

आदर्श फैसीलिटेटर के गुण

